कुरुक्षेत्र

संपादकीय

प्रकाश में भी अंधकार क्यों ?

गांवों में विज्ञान के प्रकाश से कृषि क्रान्ति तो आई, परन्तु वह ग्रामीण समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियों और कुरीतियों के अंधकार को दूर न कर सका। उन्नीसवीं शताब्दी में महर्षि दयानन्द, राजा राजामोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर आदि महापुरुषों ने सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया था और वे समाज से बाल-विवाह, छूआ-छूत, सती-प्रथा आदि कुरीतियों के उन्मूलन में बहुत कुछ सफल हुए। विधवा-विवाह के लिए भी रास्ता खोला। परन्तु आगे चलकर यह काम कांग्रेस के कर्णधारों ने अपने हाथ में ले लिया। परन्तु इन कर्णधारों के मन पर राजनीति ही अधिक छाई रही और स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य प्रधान बन गया। सामाजिक क्रांति का जो सूत्रपात उन्नीसवीं शताब्दी के उपर्युक्त कर्णधारों ने किया था, वह गौण हो गया।

अब हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं परन्तु सामाजिक दृष्टि से हम अभी भी रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों से जकड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। कार्यवश रुड़की उतरा। बसों में भारी भीड़ थी। एक तो काफी इंतजार के बाद बड़ी मश्किल से बस में जगह मिली, दूसरे इतनी भीड़ कि उसमें दम घुटने लगा। परन्तु यह भीड़ यकायक हरिद्वार के निकट एक खेत के पास उतर पड़ी और बस बिल्कुल खाली हो गई। रहस्य का पता चला कि खेत में एक पहाड़ी पौधा उग आया था जिसे लोगों ने कल्पवृक्ष समझ लिया था। लोगों का ख्याल था कि इस वृक्ष की पूजा-अर्चना करने और भेंट चढ़ाने से सारे रोग-धोग कट जाते हैं। महीनों तक यही सिलसिला जारी रहा। उपासकों के रोग-धोग कटे हों या न कटे हों पर खेत के मालिक के रोग-धोग अवश्य कट गए। वृक्ष पर जो चढ़ावा आता था उससे खेत के मालिक के पौ-बारह हो गए।

एक दूसरी घटना उस समय मेरे सामने आई जब मैं अपने गांव गया। गांव के निकट देखा कि एक पीपल के वृक्ष के पास घी का दीप जला हुआ है। वृक्ष के चारों ओर सूत लिपटा हुआ है और एक महिला मंत्रोचारण सा करती हुई उस पीपल की परिक्रमा कर रही है। मंत्र था--"पीपल देवता पूजूं तोय—एक पुत्र तू दीजे मोय।" इस तरह वह पीपल देवता से पुत्र की मांग कर रही थी। उपर्युक्त घटनाओं के उद्धरण से यह जाना जा सकता है कि हमारे गांव वाले आज भी कितने अन्धविश्वासी और जन्तर-मन्तर और झाड़-फूंक के जंजाल में फंसे हुए हैं।

आज भी धूर्त, पाखंडी और ठगने वाले ओझाओं का वहां बोलबाला है। विवाह-शादियों के अवसरों पर मनाई जाने वाली गंदी प्रथाएं आज भी विद्यमान हैं। मूल नक्षत्र में पुत्र जन्म पर मूल शान्ति के लिए पिता को बहकाया जाता है और पाखंडियों की जेबें गर्म होती हैं। कुछ दम्भी-पाखंडी साधु छोटी-मोटी हाथ की सफाई की बाजीगरी से इन ग्रामीणों को चमत्कृत करते हैं और ये सीधे-साधे लोग उनकी चाल में आ जाते हैं। उनके बहकावे में आकर अपने बहुत से रुपये-पैसे से भी हाथ धो बैठते हैं। चेचक की बीमारी को गांव में आज भी माता का प्रकोप माना जाता है। बजाय इलाज के केवल पूजा-अर्चना से ही चेचक के प्रकोप को शांत करने के प्रयास किए जाते हैं जिससे ये गांव वाले पाखण्डी लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और समुचित इलाज न होने के कारण रोगी मृत्यु का शिकार हो जाता है अथवा अंधा या अपंग हो जाता है।

आज ज्योतिष का धंधा भी खूब फलीभूत है। महर्षि दयानन्द ने फलित ज्योतिष को बिल्कुल गलत बताया है। जन्मपत्री को वे शोकपत्री कहते थे परन्तु आज ज्योतिष के इस प्रपंच से न सिर्फ भोले-भाले, सीधे-सादे अनपढ़ ग्रामीण ही ग्रसित हैं बल्कि हमारे बहुत से राजनीतिज्ञ, प्रशासक और बड़े-बड़े मनीषी भी इन पाखंडी ज्योतिषियों के जाल में फंसे हुए हैं। आप रोज ही बहुत सी गलत-सलत भविष्यवाणियां समाचारपत्रों में पढ़ते हैं। कभी किसी के मृत्युकाल की भविष्यवाणी की जाती है तो कभी किसी राजनीतिज्ञ के सत्तारूढ़ या सत्ता से वंचित होने की। कहने का अर्थ यह है कि इन तांत्रिक और ज्योतिषियों ने चारों ओर अपना जाल फैला रखा है।

हमारे गांवों में सामाजिक विकास के लिए यह स्थिति बड़ी भयावह है और अब जरूरत है अन्धविश्वासों, रूढ़ियों तथा कुरीतियों के विरुद्ध जोरदार अभियान छेड़ने की। जहां एक ओर हमारे प्रचार के माध्यम—रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र आदि इन सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, वहां दूसरी ओर शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन की बड़ी भारी जरूरत है। देश में विश्वविद्यालयों कालेजों और स्कूलों का जाल तो बिछा दिया गया है। परन्तु इनमें जो शिक्षा दी जाती है वह समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होती। स्वच्छ, सुन्दर, स्वस्थ तथा प्रगतिशील सांस्कृतिक समाज के विकास के लिए सत्शिक्षा नितान्त आवश्यक है। □

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : राधे लाल

आवरण पृष्ठ : परमार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 27 | माघ–फाल्गुन 1903 | अंक 4

इस अंक में — पृष्ठ संख्या

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना––एक विश्लेषण — 2
जितेन्द्रनाथ मल्होत्रा

गांवों की खुशहाली ग्रामीण रोजगार पर निर्भर — 5
राकेश कुमार अग्रवाल

संरक्षण और विकास समन्वित योजना — 8
एम० आर० श्रीनिवास

भूमि की उर्वरता में केंचुओं का योगदान — 9
बसन्त बल्लभ जोशी

अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला–81 : सफल आयोजन — 11
चक्रधर शर्मा

एकता, भाईचारा और समानता का सन्देशवाहक सिख-धर्म — 14
विनय कुमार भटनागर

रुपये की कहानी––कलम की जुबानी — 18
विद्यादत्त शर्मा

डाकघर बचत बैंक के अनेक आयाम — 20
वी० ई० अरुणाचलम

नया जीवन (कहानी) — 21
अखिलेश्वर

नई लहर (रूपक) — 23

स्थायी स्तम्भ

पहला सुख निरोगी काया : साहित्य समीक्षा : केन्द्र के समाचार : कविता आदि।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एक विश्लेषण

*

जितेन्द्रनाथ मल्होत्रा

भारत में 2 अक्तूबर, 1980 से समस्त 5011 विकास क्षेत्रों में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। यह योजना 1978–79 तक देश के केवल 2300 विकास क्षेत्रों में लागू थी। प्रत्येक विकास क्षेत्र को इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 के लिए 6 लाख व आगामी 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 8 लाख रुपये का बजट उपलब्ध रहेगा। कार्य का संचालन प्रत्येक जनपद में गठित एकीकृत ग्राम्य एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना पर लगभग 20 अरब रुपये व्यय होने की संभावना है। उपर्युक्त धनराशि तो केवल सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यय की जाएगी। इससे लगभग तिगुनी धनराशि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की जाएगी।

योजना निर्माण करते समय यह अनुमान लगाया गया है कि एक परिवार को गरीबी सीमा रेखा से ऊपर लाने के के लिए शासन की ओर से कम से कम 5000 रुपये का अनावर्तक व्यय आवश्यक होगा। इस प्रकार इस योजना से योजना काल में पूरे देश में 5 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सर्वविदित है कि देश की कुल 63 करोड़ जनसंख्या में से 31 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं और उपर्युक्त में से 25 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। गरीबी सीमा से नीचे केवल वही लोग आते हैं जिनको केवल 2400 कैलोरी तक पोषण प्राप्त करने के निमित्त ही आय प्राप्त होती है। 1970–71 के मूल्य स्तर पर यह धनराशि 3500 रुपये वार्षिक प्रति परिवार अथवा 72 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आंकी गई है।

एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम को व्यापक रूप से लागू करने के कई महत्वपूर्ण कारण है। 30 वर्षों के ग्राम विकास प्रयास के उपरान्त भारत के आर्थिक विकास में कई कमियां अनुभव की जा रही थीं।

प्रथम देश के निर्बल वर्ग में निरन्तर अभिवृद्धि दृष्टिगोचर हो रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। पांच योजनाओं को पूर्ण कर लेने के उपरान्त यह स्पष्ट होने लगा था कि साधन सम्पन्न एवं निर्बल वर्गों के आय का अन्तर और अधिक हो गया है तथा विज्ञान व तकनीकी का लाभ समाज के निम्न स्तर तक नहीं पहुंचा। शासन व सार्वजनिक क्षेत्र मे मिलने वाली सुविधाओं को बड़े कृषकों व बिचोलियों ने हड़प लिया है व हरित क्रान्ति तथा श्वेत क्रांति को सफल कर देने वाले श्रमिक को सम्पन्नता से अपना भाग नहीं मिल पाया जिससे समाज में पीड़ा तथा कलह की बढ़ोत्तरी हो गई है। भारत समाजवादी समाज, की स्थापना के उद्देश्य से परे चला गया है। यह भी सत्य है कि अधिकतर योजनाएं लोचहीन थीं और योजनाओं के कार्यान्वियन के मध्य उनसे कोई संशोधन संभव नहीं था। देश में कई प्रकार की क्षेत्रीय विकास योजनाएं जैसे लघु कृषक विकास योजना, सूखोन्मुख योजनाएं, पहाड़ी क्षेत्र विकास क्षेत्र योजना आदि चालू थीं और उनमें एकरूपता तथा समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। अधिकतर योजनाओं में स्थानीय साधनों के भरपूर उपयोग तथा बहुमुखी विकास कार्यक्रमों का अभाव था।

एकीकृत ग्राम्य विकास की मूल विचार धारा ने उपर्युक्त सभी कमियों के निवारण का प्रयास किया गया है। समूचे देश में पहली बार एक ऐसी समरूप योजना चलाई जा रही है जिसमें निर्बल वर्ग को लक्षित वर्ग घोषित करके उनके विधिवत चयन की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि गरीबी के मूल कारण-बेरोजगारी पर प्रहार करके निर्बल को स्वावलम्बी बनाकर उच्चतर जीवन-स्तर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम की दूसरी विशेषता है एक स्थानीय रूप से विकसित एवं दृढ़ अवस्थापना का ढांचा जो सर्वहारा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो सके। इस योजना में कार्यान्वियन के दौरान ही मूल्यांकन एवं निर्देशन की समुचित व्यवस्था है। एकीकृत ग्राम विकास योजना की श्रेष्ठता है उसमें कार्यक्रमों का विस्तृत व बहुमुखी

आधार जिसमें उत्पादन से लेकर उपभोग तक के जीवन के सभी पहलू आच्छादित होते हैं । नवीन रोजगारों के सजन के लिए परम्परागत देशों व उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाने व विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि श्रमिकों का नगरों को पलायन रोका जा सके । इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार एक व्यापक योजना चलाई जा रही है जो गरीबी और बेरोजगारी तथा अनुत्पादकता की समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्रों में जूझ सकें ।

एकीकृत ग्राम विकास की सीमाएं––

एकीकृत ग्राम्य विकास से जो अपेक्षाएं की जा रही है उन्हें पूरा किया जा सकेगा इसमें सन्देह है ।

प्रथम तो एकीकृत ग्राम्य विकास छठी योजना में लक्षित वर्ग का 15 से 20 प्रतिशत तक ही छू पाएगा । शेष वर्ग अभी भी अछूता रहेगा क्योंकि 5 वर्षों में 15 से 20 हजार तक के निर्बल परिवारों में से एक विकास क्षेत्र में केवल 3000 परिवार ही लाभान्वित होंगे । दूसरे अनुदान का लाभ उठाने के लिए निर्बल परिवारों को बैंकों से ऋण लेना होगा, यह अनुमान लगाया गया है कि 8 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग करने के लिए एक विकास क्षेत्र में 24 लाख रुपये के बैंक ऋण की प्रतिवर्ष आवश्यकता होगी । बैंक निर्बलों को ऋण प्रदान करने हेतु अभी अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं। योजना के विभिन्न कार्यक्रमों से परिवार की आय गरीबी सीमा रेखा से ऊपर उठ जायेगी विश्वस्नीय नहीं है क्योंकि विश्व विख्यात अर्थशास्त्री डा० के० एन० राज के अनुसार निर्बल वर्ग की गरीबी ऐतिहासिक कारणों से है । अन्य लोगों की सम्पत्ति व साधन तथा धन की प्रतिस्पर्धा के रहते हुए एक परिवार 5000 रुपये की आर्थिक सहायता से निर्बल से सबल हो जाएगा, यह कहना अतिशयोक्ति ही होगी । गरीबी एवं निर्बलता एक सापेक्ष्यात्मक धारणा है । यह देश, प्रदेश, वर्ग और समय के अनुसार बदलती रहती है । जिस स्तर पर कार्य करने की कल्पना की गई है उससे केवल निर्बलतम को निर्बल की श्रेणी तक तो लाया जा सकेगा किन्तु इस 5000 रुपये की सहायता से वर्तमान मूल्य स्तर पर उसे सबल की श्रेणी में बदल दिया जाएगा, यह सम्भव नहीं है । रहेंगे वह निर्धन ही जब तक संवेधानिक उपायों द्वारा आय के साधनों व सम्पत्ति का न्यायोचित सामाजिक बटवारा नहीं किया जाता ।

यदि निर्धन परिवारों की दशा को निकट से अध्ययन किया जाए तो उनकी निर्धनता के निम्नलिखित कारण दृष्टिगोचर होते हैं :––

1–– ऐतिहासिक कारण जिनमें 4 माह अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम क्षमता में अत्यधिक कमी, कुछ वर्गों का युगों से सामाजिक तिरस्कार तथा देश का विदेशी शासकों द्वारा शोषण है ।

2–– परिवार के धनोपार्जन करने वाले व्यक्तियों की बेरोजगारी एवं कम मजदूरी की दरें ।

3–– अपर्याप्त रहन-सहन के स्तर के कारण कुपोषण, बीमारी, बुढ़ापा इत्यादि से धनोपार्जन में कमी ।

4–– परिवार में मृत्यु, बाढ़, भकम्प, इत्यादि से अकस्मात हानि एवं अधिक सन्तान से व्यय में बढ़ोत्तरी ।

5–– सतत ऋण ग्रस्तता-बंधुआपन ।

6–– सामाजिक कुरीतियों से अपव्यय जैसे दहेज प्रथा, नशापन, जुआ, तथा रूढ़िवादिता ।

7–– आर्थिक प्रगति करने की अनिच्छा, निवास स्थान से दूर होने से इन्कार तथा तकनीकी ज्ञानाभाव से कम मजदूरी की प्राप्ति ।

8–– भारत में श्रम बहुलता के कारण शारीरिक श्रम की अत्यधिक हीनता व कम मजदूरी की प्राप्ति ।

9–– अनार्थिक जोत से गरीबी ।

10–– ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़कों, टेलीफोन, बैंकों इत्यादि की अवस्थापना का अभाव ।

एकीकृत ग्राम्य विकास की परिकल्पना में जहां रोजगार सृजन व ऋण अनुदान प्रदान करने की कुछ व्यवस्था की गई है वहां सामाजिक, भौगोलिक एवं अवस्थापना सम्बन्धी कमियों को दूर करने का स्पष्ट प्रयास नहीं है । एकीकृत ग्राम्य विकास उत्पादन की छोटी-छोटी इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना करता है जो मिश्रित अर्थ व्यवस्था में बड़ी इकाइयों से हार जाती है। अत: उन्हें निरन्तर संरक्षण की आवश्यकता है। जब तक वह प्रतिस्पर्धात्मक न बन जाए, जनसंख्या के एक सुनिश्चित वर्ग को अपनी आर्थिक सीमाओं से ऊपर उठाने हेतु अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है । यह परिवर्तन निम्नवत लाया जाए तो अधिक उपयोगी होगा ।

(क) एक परिवार एक ही रोजगार करे । एक से अधिक रोजगारों का स्वामित्व ले लेने से वह शोषण करके अधिक धनी बनता है ।

(ख) भूमि का स्वामित्व उसी का हो जो स्वयं अपने हाथ से खेती करता है । भमि की आर्थिक इकाई नियत की जाए। जिससे कम भूमि पर खेती न हो ।

(ग) श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दरें कुछ ऊंची निर्धारित हो (जैसा कि सेवाओं के मामले में है) और उन्हें लागू कराने हेतु ग्रामों में कार्य करने वाले अधिकारियों को शक्तियां दी जाएं ।

(घ) विवाह योग्य आयु की सीमा बढ़ा कर क्रमश : लड़के-लड़कियों के लिए 25-23 कर दी जाए जैसा कि चीन में हुआ है । इसे लागू कराने हेतु भी ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए जाएं। सीमित सन्तान हेतु प्रबल प्रेरक अनुदान दिया जाए ।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का संगठन करके मुफ्त इलाज व्यवस्था की जाए ।

(च) व्यवसाओं के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु एक सुदृढ़ स्थायी व्यवस्था स्थापित की जाए––शिक्षा रोजगार पूरक हो तथा प्रत्येक क्षेत्र में चलाए जा सकने वाले रोजगारों का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिसके आधार पर रोजगार योजना का गठन हो ।

(छ) उत्पादन की छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयां प्रतिस्पर्धा न करें। अत : क्षेत्र का विभाजन हो ।

एकीकृत ग्राम्य विकास के सम्पादन का भार विकास खण्डों पर डाला गया है । वर्ष 1952 से अब तक विकास

खण्ड के कार्यभार में अत्यधिक अभिवृद्धि हुई है। किन्तु विकास क्षेत्र की अवस्थापना को सुदृढ़ नहीं किया गया। एक विकास खण्ड अधिकारी तथा 10 से 15 ग्राम्य विकास अधिकारी तथा 3 लिपिक मिलकर विकास क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं चलाते हैं:—

(क) कृषि उत्पादन अभियान जैसे रबी-खरीफ व जायद अभियान।
(ख) अल्प बचत अभियान।
(ग) राष्ट्रीय रोजगार योजनाएं।
(घ) वन महोत्सव।
(ङ) ट्राईसेम/अन्त्योदय
(च) गोबर/जनता बायोगैस निर्माण कार्य।
(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देखरेख।
(ज) ग्रामीण पेय जल योजनाएं।
(झ) ग्रामीण गृह निर्माण योजना।
(य) एकीकृत ग्राम्य विकास योजना।
(र) अन्य सामयिक कार्य, जैसे सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा निवारण।
(ल) हरिजन कल्याण, योजनाएं।

स्पष्ट है कि कार्यभार कई गुणा बढ़ गया है। अतः यह आवश्यक है कि न केवल खण्ड एवं फील्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई जाए वरन् इस वर्ग का सामाजिक स्तर भी अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि पदोन्नति की राहें बन्द हो जाने से विकास खण्ड पर हतोत्साह एवं शिथिलता का वातावरण छाया हुआ है। समन्वयकर्ता के रूप में क्षेत्र विकास अधिकारी को ऐसा स्तर प्रदान किया जाए जिससे वह एक ही स्थान से ग्रामवासियों को राहत पहुंचा सके।

संक्षेप में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम सही दशा में एक नया प्रयास है किन्तु जब तक इसके कार्यान्वयन हेतु दृढ़ व्यवस्था नहीं की जाती तथा योजना के आकार एवं आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन नहीं किए जाते तब तक इसके उद्देश्यों की पूर्ति होने में सन्देह है। □

जितेन्द्रनाथ मल्होत्रा
प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी श्रेणी 2
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी,
हरिद्वार।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

समापन समारोह

लगभग तीन सप्ताह तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 4 दिसम्बर 1981 को समाप्त हो गया। प्रगति मैदान में एक सांस्कृतिक आयोजन में इसकी समाप्ति की विधिवत घोषणा की गई। यह सांस्कृतिक आयोजन 5 दिसम्बर, 1981 की सुबह संपन्न हुआ।

इस मेले को लगभग तीन करोड़ लोगों ने देखा और इसमें पांच अरब रुपये का व्यापार हुआ। प्रगति मैदान के मेले के आठ सभागारों में देश के लगभग छह हजार कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

समापन समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल श्री सुन्दर लाल खुराना ने की। भारतीय व्यापार मेला अधिकरण के अध्यक्ष श्री मुहम्मद यूनुस ने इस अवसर पर मेले में भाग लेने वालों को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार विजेता मंडपों को पुरस्कार वितरित किए।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री मुहम्मद यूनुस ने बताया कि मेले की अवधि को बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव आए तथा दबाव भी डाले गए लेकिन विदेशी और भारतीय भागीदारों को दिए गए वचन को सम्मान का ध्यान रखते हुए यह निर्णय किया गया कि मेले की अवधि बढ़ाना उचित नहीं होगा। श्री यूनुस ने राजनयिकों, राज्यों के प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। 42 भागीदार देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों की सराहना की। श्री यूनुस ने बताया कि मेले में पांच अरब रुपये का सौदा हुआ। इसमें से आधे से अधिक सौदा अनुबंधों के रूप में हुआ। ये अनुबंध मुख्यतः पेन्ट, तार की रस्सी, रसायन, चमड़े के उत्पाद, हथकरघा, वाहनों के टायर, जूट की बोरियों और साइकिलों आदि के लिए किए गए। समझा जाता है कि विभिन्न मंडपों द्वारा 7,500 व्यापारिक जानकारियां दी गईं। इसके अतिरिक्त, कागज, मुद्रण मशीन, भारी रसायन तथा आवश्यक तेल के आयात अनुबंध भी किए गए। श्री यूनुस ने बताया कि मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली में अब तक हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिक अवधि के रहे।

इन कार्यक्रमों में लोक नृत्य तथा प्रख्यात एवं उदीयमान कलाकारों की प्रस्तुतियां सराहनीय रहीं। इसके अतिरिक्त, नृत्य-नाटिकाएं नाटक, कव्वाली तथा गायन और वादन के कार्यक्रम भी काफी आकर्षक थे। इसके अलावा फैशन शो तथा हिन्दी एवं प्रादेशिक फिल्में भी दर्शकों में लोकप्रिय रहीं।

विदेशी प्रतियोगियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वाधिक उल्लेखनीय रहे— इंडोनेशिया की रामायण पर आधारित नृत्य-नाटिका, श्री लंका का जाज़ कार्यक्रम, पाकिस्तान की कव्वालियां, बंगला देश की संगीत संध्या, सोवियत संघ का फैशन शो तथा पुर्तगाल के प्रख्यात कलाकार द्वारा प्रस्तुत सितार-वादन।

श्रेष्ठ सज्जा के लिए दक्षिण कोरिया को एक पदक और एक प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय मंडपों में हथकरघा और आवास मंडप को प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार दिया गया। केन्द्र शासित प्रदेशों के मंडपों में मणिपुर-मंडप को प्रथम पुरस्कार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में खनिज एवं धातु व्यापार निगम को प्रथम एवं टाटा-मंडप को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इन सभी पुरस्कार विजेताओं को एक-एक पदक तथा प्रमाण-पत्र भी दिया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों एवं देश-विदेश के अन्य मंडपों को मेले में भाग लेने के लिए प्रमाण-पत्र भी वितरित किए गए। □

श्याम निर्मम
128, आर्य नगर
गाजियाबाद [उ० प्र०]

गांवों की खुशहाली ग्रामीण रोजगार पर निर्भर

✱ राकेश कुमार अग्रवाल ✱

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भारी बोझ बन कर सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को झंकझोरती जा रही है। बेरोजगारी व आश्रितों की भीड़ वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग तो करती है किन्तु उत्पादन में सहयोग देने में असमर्थ रहती है। फलस्वरूप मांग और पूर्ति के असंतुलन से उत्पन्न मूल्य वृद्धि उपभोक्ता-उत्पादक और सरकार सभी पक्षों को बुरी तरह प्रभावित करती है। अनियन्त्रित जन-संख्या और बेरोजगारी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सभी क्षेत्रों पर प्रबल प्रहार करती है। आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। असामाजिक प्रवृत्तियों विकसित होने लगती हैं और राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है।

भारत में पांच में से चार व्यक्ति गांवों में वास करते हैं। 1921 से 1976 तक की अवधि में 74 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता में कोई कमी नहीं हुई है। देश में फैली बेरोजगारी का 81 प्रतिशत भाग गांवों को अपनी परिधि में समेटे हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों में सही दिशा और पर्याप्त अवसरों की कमी के कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ बेरोजगारी की समस्या ग्राम विकास के मार्ग में बाधा बनी हुई है। कृषि पर बनी हुई अत्यधिक निर्भरता अदृश्य बेरोजगारी को प्रोत्साहित करती है। कार्य दो लोगों का है, चार लोग अनावश्यक रूप से उसमें लगे रहते हैं। अधिकांश ग्रामीण अंचलों में सीमान्त कृषक व खेतीहर मजदूर उस काल में हाथ पर हाथ धरे बेकार बैठे रहते हैं जब कृषि का कोई काम नहीं होता। पढ़ेलिखे ग्रामीणों की स्थिति और भी विचित्र है। पढ़ लिख जाने के बाद वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कारण न तो वे कृषि कार्य के रहते हैं और न ही उनको रोजगार सुलभ हो पाता है। ऐसे अधिसंख्य युवक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बन कर रह जाते हैं।

रोजगार के अवसरों का अभाव एक बड़े वर्ग को निर्धनता में जीवन-यापन करने के लिए मजबूर कर देता है। जिसका परिणाम आर्थिक विषमता के रूप में उभर कर सामने आता है। गांवों में प्रतिव्यक्ति औसत आय बहुत कम है। 1978 में शहर की प्रति व्यक्ति औसत आय 3,320 रुपये थी जबकि गांव की प्रतिव्यक्ति औसत आय 588 रुपये रही। योजना आयोग के अनुसार 1977–78 में ग्रामीण क्षेत्रों में 23.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे।

निर्धनता के कारण भूमिहीन और सीमान्त कृषक रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में अपने गांवों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में काम ढूंढते फिरते हैं। बिहार, पूर्वी उ० प्र, बंगाल, उड़ीसा, म० प्र० आदि प्रान्तों के मजदूर अन्य प्रान्तों में विभिन्न कार्यों में संलग्न दिखायी देते हैं। जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सब प्रकार के शोषण के बाद भी अमानवीय स्थिति में कार्य करने के लिए मजबूर रहते हैं। यदि इनको अपने ही गांवों में छोट-छोटे कामों में लगाने की सुविधाएं सुलभ कराईं जाएं तो निश्चय ही इस गंभीर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है ग्रामीण रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाने की।

रोजगार वृद्धि के लिए उठाए गए कदम

भारत में रोजगार वृद्धि के मार्ग में श्रम शक्ति के उपयोग के लिए पूंजी तथा औद्योगिक सुविधाओं की पर्याप्त कमी है। अतः देश की विशिष्ट परिस्थितयों को ध्यान में रख कर पिछले पच्चीस वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न किए गए हैं। पिछला दशक इस दृष्टि से उल्लेखनीय भूमिका रखता है। कठिनाई यह है कि विकास के लिए उठाए गए कदम लोगों के जीवन स्तर में इसलिए अपेक्षित सुधार नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका अधिकांश भाग जनसंख्या की सुरसा निगल जाती है।

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन : खादी और ग्रामोद्योगी गतिविधियां श्रम सघन होने के कारण ग्रामीण जनता को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में पर्याप्त समर्थ हैं। भारत में गरीबी और बेकारी को पूंजी की कमी के कारण दीर्घकाय उद्योगों से दूर करना संभव नहीं है। 1956 में सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खादी और ग्रामोद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर ही खादी और ग्रामोद्योग कमीशन का गठन किया। यह कमीशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए विविध प्रकार का काम करता है। वितरण, विपणन, प्रशिक्षण, निर्माण, अनुसंधान के साथ कमीशन का कार्यक्षेत्र पच्चीस उद्योगों तक फैला हुआ है। इसमें 27.33 लाख लोगों को रोज़गार प्राप्त है। वर्तमान में 440 करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन है जो छठी योजना के अन्त तक 1200 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। कमीशन द्वारा इस योजना काल में 50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की संभावना है।

रोजगार गारण्टी स्कीम : ग्रामीण बेरोज़गारों को निराशाजनक स्थिति से उबारने के उद्देश्य से 1982 में महाराष्ट्र में इस स्कीम का श्रीगणेश किया गया। इसके अन्तर्गत कोई

भी पचास मजदूर काम प्राप्ति के लिए सरकार से आवेदन करते हैं। उनके लिए गांव से पांच मील के घेरे में रोजगार देने वाली उत्पादक परियोजनाओं का प्रबन्ध कर दिया जाता है। यदि किसी कारणवश ऐसी परियोजना चलाना संभव नहीं होता तो रोजगार मांगने वाले व्यक्तियों को एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब मे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहता है। लेकिन यह स्थिति अनुत्पादक व आलस्य प्रेरित होने के कारण सरकार किसी भी रूप में इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहती। काम का प्रतिफल लेना ही सम्मानजनक होता है। इस स्कीम के द्वारा 1978–79 में 16.35 करोड़ श्रम दिवसों का काम उपलब्ध कराया गया। इसमें औसत 3.94 लाख मजदूर हर वर्ष काम पाते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : ग्रामीण बेरोजगारों को रोज़गार देकर राज्यों की स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे सड़क, स्कूल भवन, पंचायत घर, सिंचाई सुविधाओं आदि का निर्माण करने के उद्देश्य से अप्रैल 1977 में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसके मूल में भंडारण से फालतू अनाज का उचित प्रयोग करने की योजना क्रियान्वित की गई। मजदूरी दर गिरने से बचाना तथा अनाज की कीमतों को स्थिर रखना इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य रहे हैं।

इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के बाद से 79,424 स्कूल-भवनों, 3,016 पंचायत घरों तथा सामुदायिक केन्द्रों, 2,71,567 कि० मी० लम्बी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इन विकास कार्यों से 9,49,518 हेक्टेयर भूमि में भूसंरक्षण के उपाय जुटाए गए, 4,21,025 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ के खतरे से सुरक्षित किया गया और 4,40,764 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1980–81 में 21.34 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार सुलभ कराया गया। 1981–82 में लगभग 50 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराने का अनुमान है। अप्रैल 1981 से यह कार्यक्रम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' के रूप में छठी योजना का अंग बन गया है। इसके लिए इस योजना में 1620 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। अब इस कार्यक्रम के पोषण का केन्द्र तथा राज्य सरकारों का संयुक्त दायित्व बन गया है।

अन्त्योदय कार्यक्रम : गांव के गरीब परिवारों को चुनकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से ऐसे साधन सुलभ कराना जिससे वे अपनी आय को बढ़ा सकें, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसका शुभारंभ 2 अक्तूबर 1977 को किया गया। इसके अंतर्गत एक गांव के चयनित पांच परिवारों को उनकी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार पशु, भूमि, कुटीर उद्योग, बैलगाड़ी, ठेलों आदि किसी भी साधन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। कुछ प्रान्तों में इन परिवारों के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी सुलभ कराई जाती हैं।

एकीकृत ग्राम विकास योजना : छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के स्तर को सुधारने के लिए 1978–79 में इस योजना को 2300 विकास खंडों में लागू किया गया। अब यह योजना देश के सभी 5011 विकास खंडों में चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड से 600 परिवारों को प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार छठी योजना की अवधि में लगभग 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना संभव हो सकेगा।

निर्धन परिवारों को रोजगार सुलभ कराने तथा उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन, ग्रामीण कुटीर उद्योग, अन्य व्यवसाय व सेवाओं में सहायता प्रदान करने, कृषि कार्य के लिए सिंचाई व अन्य साधनों आदि को उपलब्ध कराने के लिए 1980–81 में प्रत्येक विकास खंड में आवंटित की जाने वाली 5 लाख रुपये की राशि बढ़ा कर 1981–82 में 6 लाख रुपये प्रति विकास खंड कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा विकास के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग आदि के संबंधित अधिकारियों का संयुक्त आधार पर एक 'मानटरिंग सेल' स्थापित करने की योजना है।

स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना : ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवक अपने ही ग्राम क्षेत्र में स्वयं का काम-धंधा स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें, इस आशय से 1979 में ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने वाली योजना 'ट्राइसेम' को क्रियान्वित किया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को सौ रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण के बाद बैंकों से ऋण सुविधा तथा प्रशासन से अनुदान उपलब्ध कराने के बाद उन्हें स्वयं के उद्यमों में संलग्न करा दिया जाता है। इस योजना में मार्च 1981 तक 1,21,625 युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिनमें से 35,881 युवकों ने स्वरोज़गार प्राप्त कर लिया है। 79,850 युवक वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस आशय से प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

पशु संवर्द्धन कार्यक्रम : ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद पशु पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमान्त कृषक और खेतीहर मजदूरों को रोजगार सुलभ कराने तथा उनकी आय बढ़ाने की दृष्टि से यह कार्यक्रम अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके अन्तर्गत संकर किस्म के पशुओं के अतिरिक्त मुर्गी पालन, सूअर पालन तथा भेड़ पालन जैसे सहायक कार्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस समय देश में संकर गाय पालने की 99, मुर्गी पालन की 68, भेड़ पालन की 51 और सूअर पालन की 50 परियोजनाएं चल रही हैं। मार्च 1981 तक इस कार्यक्रम द्वारा 3,04,897 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं।

निर्माण कार्यों द्वारा रोजगार : प्रत्येक निर्माण कार्य रोजगार के अनेक अवसर प्रदान कर बहुमुखी विकास का रास्ता खोल देता है। किसी भी गांव की उन्नति में उसको सड़क से जोड़ देना अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। छठी योजना में 1500 से ऊपर जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इसके फलस्वरूप 84 लाख श्रम वर्षों का रोजगार सुलभ हो सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के भंडारण की समस्या सुलझाने के लिए 1979–80 में

इन क्षेत्रों में सुरक्षित गोदामों के निर्माण की योजना को कार्य रूप में परिणित किया गया। छठी योजना में 19.53 लाख टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध की जाएगी। जिसके द्वारा 4000 श्रम वर्षों के सृजन के अतिरिक्त गोदामों के निर्माण कार्य द्वारा 82.42 लाख श्रम दिवसों का रोजगार सुलभ होगा।

कुछ सुझाव

– कितनी भी योजनाएं अथवा कार्यक्रम बना लिए जाएं। उपर्युक्त क्रियान्वयन के अभाव में उनके परिणाम कभी भी अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। नैतिक मूल्यों के अभाव में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सम्पन्न और प्रभावशाली भूखे लोगों को मिलने वाली रोटी छीनकर और अधिक सम्पन्न बन जाते हैं। अतः भले ही योजनाएं संख्या में कम हों, लेकिन उनका क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि वे लोग अवश्य लाभान्वित हों जिनके लिए ये योजनाएं बनायी जाती हैं। क्रियान्वयन के बाद इनका सही विश्लेषणात्मक मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए जिससे वस्तु स्थिति का ज्ञान हो सके।

– हमारे पास पूंजी, मशीनें तथा पेट्रोल नहीं है, पर करोड़ों बेकार हाथ हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी सघन उत्पादन के स्थान पर विकेन्द्रित श्रम सघन गति विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है। जिससे कम पूंजी द्वारा भी अधिक लोगों को रोजगार सुलभ कराया जा सकता है।

– ग्रामीण जन समुदाय के बड़े भाग को रोज़गार प्रदान करने में कृषि के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान आता है। इन उद्योगों में नई तकनीकें विकसित करके रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने के साथ इनमें लगे लोगों की आय बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

– गांवों में जिस समय कृषि का कोई काम नहीं होता, उस समय के लिए ऐसे कार्य सुलभ कराना चाहिए जिनसे ग्रामीण खाली समय का उपयोग कर आय अर्जित कर सकें। महात्मा गांधी ने इसी आशय से चरखे पर जोर दिया था। जिसके द्वारा उपयोगी सामग्री का उत्पादन करने के साथ खाली समय में व्यक्ति स्वरोजगार प्राप्त कर लेता है।

– ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और अंध विश्वासों के कारण जनसंख्या वृद्धि पर अकुंश लगाना कठिन है। फिर भी सामाजिक परिवतन की प्रक्रिया में आर्थिक समस्याओं से जूझता सामान्य ग्रामीण भी सीमित परिवार के महत्व को समझने लगा है। बेरोजगारी की बीमारी को दूर करने के लिए उसकी जड़ जनसंख्या वृद्धि का इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गांवों में लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के साधन अधिक मात्रा में सुलभ कराने के साथ-साथ बाल-विवाह जसी कुप्रथाओं के दुष्परिणामों से अवगत कराने की आवश्यकता है।

– शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन अपेक्षित है। ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो व्यक्ति को प्रारम्भ से ही आत्म निर्भरता की ओर ले जाए। पढ़ाई समाप्त करने के बाद वह पूरी दक्षता के साथ गांव में ही कोई काय स्थापित कर स्वयं के साथ अन्य चार लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सके।

– स्वयं सेवी संस्थाओं को सच्चे अर्थों में सेवा के लिए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार गांवों तक करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र सभी की ओर आशा भरी दृष्टि से निहार रहे हैं। उनमें क्षमता है परन्तु साधन नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं को गांवों की स्थिति सुधारने के लिए अपनी योजना द्वारा ग्रामीणों को व्यवसाय, कुटीर उद्योग पशु पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि स्वरोज़गार कार्यों में सहयोग करना चाहिए।

– राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) द्वारा गांवों में आयोजित शिविरों में छात्र और ग्रामीण मिल कर वृक्षारोपण, सड़क निर्माण आदि रचनात्मक कार्य करते हैं। प्रत्येक छात्र पर आठ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से व्यय किया जाता है जबकि ग्रामीण श्रमदान करते हैं। इसके अन्तर्गत बेरोजगार ग्रामीणों को अनाज या धन देकर अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

– बेरोजगारी, निर्धनता और असमानता सबका चोली-दामन का साथ है। एक समस्या के निवारण में ही अन्य समस्याओं का समाधान निहित है। व्यापक निर्धनता और आर्थिक विषमता की खाई को पार कर गांवों की काया पलट करने का एक मात्र कारगर उपाय व्यापक ग्रामीण रोज़गार है। जिसके द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ मधुर सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बेरोजगार ग्रामीण अनावश्यक रूप से झगड़ों-विवादों में फंसे रहते हैं। या फिर अन्य असामाजिक अपराधों की ओर अग्रसर होकर स्वयं तो पतन की ओर जाते ही हैं सम्पूण सामाजिक वातावरण को भी दूषित करते हैं। यदि सरकार अनुत्पादक खर्चों में कटौती करके ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त दरिद्रता को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प हो तो निःसंदेह उत्पादक कार्यों में रोज़गार वृद्धि द्वारा गांवों को खुशहाल बना कर देश की अर्थ-व्यवस्था को संवारा जा सकता है।

राकेश कुमार अग्रवाल
व्याख्याता, वाणिज्य विभाग
एस० एस० वी० (पी०जी०) कालिज
हापुड़ (उ० प्र०)

तेल की हर बूंद कीमती है, इसे बचाइये !

संरक्षण और विकास समन्वित योजना

*

एम० आर० श्रीनिवास

वर्ष 1949 में चाचा नेहरू ने बच्चों के नाम एक भारतीय साप्ताहिक पत्र को एक पत्र में लिखा "मैं किस बारे में क्या लिखूं ? अगर आप मेरे साथ होते तो मैं तुमको अपने इस सुन्दर संसार, फूलों और वृक्षों तथा पशु-पक्षियों एवं पर्वतों और हिमनदियों और उन सभी अन्य सुन्दर वस्तुओं, जो हमारे इर्दगिर्द हैं, के बारे में बातें करना पसन्द करता।"

"पर्यावरण संरक्षण में रुचि लेना केवल एक भावना ही नहीं है बल्कि यह ऐसा सत्य है जिसकी हमारे प्राचीन सार्थकता से हमारे मनीषी उपस्थित थे।" यह उद्‌गार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 6 मार्च, 1980 को प्रमुख भाषण से ही विश्व संरक्षण नीति को भारत में शुरू किया।

भारत उन कुछ देशों में से एक है जिन्होंने अपने संविधान में पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता का विशेष उल्लेख किया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार "राज्य पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार लाने तथा देश के वनों और वन्य-प्राणियों की सुरक्षा (अनुच्छेद 48) का प्रयास करेंगे। उसमें यह भी निर्दिष्ट है : "वनों, झीलों, नदियों, वन्य-प्राणियों सहित राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने तथा जीवों के प्रति सहानुभूति (अनुच्छेद 51-क) रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।"

पर्यावरण संरक्षण योजना

अब जीवन के संसाधनों के संरक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख भूमिका को देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री की देख-रेख में पहली नवम्बर, 1980 से एक अलग पर्यावरण विभाग बनाया गया है। अब यह मान लिया गया है कि संरक्षण और विकास का समन्वय किया जा सकता है। अब यह मान्यता ग्राह्य नहीं है कि संरक्षण का संबंध सिर्फ वन्य-प्राणियों अथवा मिट्टी से है और इनसे सम्बद्ध पहलु विकास के रास्ते में बाधा डालते हैं। अनेक नीतियों की सफलता, भोजन, वस्त्र, स्वच्छता और मकान जैसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग व स्वच्छ वातावरण और प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन से संबंधित घटनाओं का भी महत्व आज काफी बढ़ गया है।

समस्याओं की परिकल्पना कर पर्यावरण से संबंधित किसी नीति को अपनाने में कई कठिनाइयां पैदा होती हैं। ऐसी नीतियों को अपनाने का अर्थ होता है कि ऐसी कार्रवाई करना जिसकी तत्काल कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन योजनाबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए है कि पर्यावरण को वास्तव में हानि से पहले ही उसकी रोकथाम के उपाय किए जा सकें। इस सारे कार्यक्रम पर जो खर्च होना है उससे उपयोगिता कहीं अधिक होती है। पर्यावरणीय योजना से जन-पुनर्वास, स्वास्थ्य, कृषि, मत्स्यपालन और उद्योग सहित अनेक सरकारी कार्यक्रमों के सफल संचालन में भारी मदद मिलती है।

ग्रामीण विकास और संरक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोग भोजन और ईंधन के लिए पेड़-पौधों को काट डालते हैं, ढलवा जमीन को खेती योग्य बनाते हैं, चरागाहों से अधिक घास काट डालते हैं, जलाशयों की सारी मछलियां मार डालते हैं और दूसरे वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं। परिणामस्वरूप उनकी जीवन समर्थन प्रणाली को खतरा पैदा हो जाता है, पारिस्थितिक प्रक्रिया छिन्न-भिन्न हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि वे अपनी जीविका, संरक्षणवादी पद्धतियों को अपनाकर प्राप्त कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भोजन और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है जिससे कि संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा सके।

चिपको आन्दोलन

कभी-कभी गरीब लोग भी प्राकृतिक क्षेत्र के संरक्षण की जिम्मेवारी अपने-आप उठा लेते हैं। बहुत दिन की बात नहीं है जबकि हिमालय की तराई के सैकड़ों ग्रामीणों ने यह निश्चय किया कि पेड़ों के साथ स्वयं को चिपका कर ही वे उनको काटने से रोक सकते हैं। इसी को ही "चिपको आंदोलन" की संज्ञा दी गई। वे उन पेड़ों से चिपक जाते थे जिनको ठेकेदार काटने पर उतारू होते थे और इस प्रकार गांधी जी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के रास्ते वे ठेकेदारों को अंधाधुंध पेड़ों को काटने से रोक सकें। वे चाहते हैं कि जंगल उनके अपने उपयोग के लिए उन्हें सौंप दिया जाए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उन्हीं जंगलों पर आधारित है।

जनजातियों के लिए सुविधा

जनजातियों की समृद्धि न तो उनकी पारम्परिक अर्थव्यवस्था द्वारा और न ही आधुनिक रोकड़ प्रधान अर्थव्यवस्था द्वारा ही पूर्णतया संभव है। इसलिए उन्हें इन दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के जरिए अपनी समृद्धि सुनिश्चित करने का अवसर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वे अपने भोजन का अधिकांश भाग पारम्परिक तरीके से उपलब्ध करेंगे और ईंधन तथा वस्त्रादि के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए वे व्यावसायिक क्षेत्र में काम करना चाहेंगे।

इस तरह इन दोनों क्षेत्रों की सुविधा उन्हें उपलब्ध रहेगी। वास्तव में यह हम सभी के लिए कारगर साबित हो सकता है। संरक्षण विकास का विरोधी नहीं और न ही विकास संरक्षण का। विकास और संरक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। ▭

भूमि की उर्वरता में केंचुओं का योगदान

✳ बसन्त बल्लभ जोशी

कृषि योग्य भूमि जोतने के लिए बैल किसान के जितने सहायक हैं, उतने ही सहायक धरती के गर्भ में रहने वाले ये बदसूरत किन्तु मानवोपयोगी जन्तु केंचुए भी हैं। पिछले काफी समय तक इन निर्दोष प्राणियों का जिस तरह नाश किया गया, वह वस्तुतः केवल इनके प्रति ही अन्याय नहीं था अपितु नासमझ मानव, इनके योगदान की वास्तविकता को नहीं समझ सका। लम्बे समय तक इनका उपयोग केवल मछलियों को पकड़ने के लिए होता रहा। लेकिन हाल के अनुसन्धानों से कृषि वैज्ञानिकों को पता चला है कि केंचुए कृषि-योग्य भूमि की उर्वरता शक्ति की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। इस सन्दर्भ म वह समय दूर नहीं जबकि इन्हें रेशम के कीड़ों की तरह पाला जाने लगेगा।

कृषि वैज्ञानिकों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि खेतों में केचुओं की सहायता से गेहूं का उत्पादन दुगुना तथा सामान्य घास का उत्पादन कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। एक प्रख्यात अमरिकी कृषि वैज्ञानिक हेनरी हाप की धारणा है कि यदि कम उपजाऊ कृषि योग्य भूमि में केंचुओं का उपयोग किया जाए तो उस भूमि की उर्वरा शक्ति में अधिकतम 10 गुना वृद्धि सम्भव है। उक्त कृषि वैज्ञानिक ने अपने कई प्रयोगों से इस तथ्य को सिद्ध किया है। उन्होंने पाया कि कई तरह की दाल, मटर, सोयाबीन तथा सामान्य घास के उत्पादन म जीवित केंचुओं की सहायता से कई गुना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जीवित केंचुए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को निरन्तर बनाए रखते हैं।

रासायनिक प्रक्रिया

वस्तुतः केंचुए जमीन की मिट्टी को अपने खाद्य-पदार्थ के रूप में निगल जाते हैं। फिर उसे अपने शरीर के अन्दर रासायनिक प्रक्रिया से गुजार कर मल के रूप में विसर्जित कर देते हैं। इस प्रकार केंचुए मिट्टी की उर्वरता को बनाये रखते हैं, साथ ही उस मिट्टी की "पी० एच" मूल्य को भी सन्तुलित रखते हैं। जिस मिट्टी में क्षार या अम्ल की अधिकता होती है उसमें भी केंचुओं को पालकर पौधों का विकास किया जा सकता है।

केंचुओं द्वारा मल विसर्जन से कृषियोग्य भूमि की उर्वरा शक्ति में जो वृद्धि होती है, वह मैग्नीशियम तत्व से दुगुना नाइट्रोजन से पांच गुना, फास्फोरस से सात गुना तथा मिट्टी में विद्यमान पोटेशियम तत्व से ग्यारह गुना से भी अधिक होता है। इस प्रकार केंचुओं द्वारा मिट्टी को अपने आहार के रूप में निगल जाने तथा फिर मल विसर्जन की प्रक्रिया से मिट्टी में बैक्टीरिया की उपस्थिति बहुत बढ़ जाती है।

भूमि का उर्वरा शक्ति पर प्रभाव

केंचुओं द्वारा भूमि के अन्दर लगातार बिलों का निर्माण करने, भूमि के संयोजन, पाचन एवं विसर्जन में ये व्यापक रूप से सहायक हैं। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैनरी हाप ने एक प्रयोग में देखा कि केवल तीन दिन की इस प्रक्रिया में, केंचुओं ने मिट्टी की उर्वरा शक्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

केंचुओं द्वारा बालूयुक्त अथवा दल-दल वाली मिट्टी को भी उपयोग में लाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में अनुकूल परिवर्तन की पूर्ण संभावना विद्यमान रहती है। इस प्रक्रिया मे कृषि योग्य-भूमि के सभी उपयोगी तत्व भूमि में निरन्तर विद्यमान रहते हैं, साथ ही भू-स्खलन रोकने की शक्ति भी यथावत बनी रहती है।

प्रायः यह देखा गया है कि जिस जमीन में केंचुए नहीं होते वहां की मिट्टी बहुत सख्त व जुड़ी हुई रहती है; इससे फसल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस भूमि में केंचुए होंगे, वहां की मिट्टी नर्म होगी तथा उसमें वायु और जल अधिक ग्रहण करने की क्षमता होगी। उक्त वैज्ञानिक ने परीक्षण के तौर पर दो खेतों को लिया और पाया कि जिस खेत में केंचुए रहते थे उसकी जलग्रहण क्षमता 350 गुना अधिक थी।

केंचुओं द्वारा भूमि के स्वरूप में भी सुधार सम्भव है इससे पौधों की जड़ें गहराई तक घुस सकती हैं। फलस्वरूप, फसल अधिक अच्छी हो सकती है। इन सब के लिए जरूरी है कि केंचुओं को एक दूसरे के काफी निकट रखा जाए।

मानव मल, कीचड़, गंदगी तथा मृत जानवरों को संयोजित कर खाद के रूप में डालने से केंचुए अधिक सुविधा से कार्य कर सकते हैं।

उत्तर अमेरिका म तो केंचुओं से निर्मित एक खाद संयंत्र की स्थापना कर दी गयी है। इस खाद के उपयोग से 10 लाख व्यक्तियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन सम्भव हो गया है।

केंचुआ पालन

अब तो अमेरिका, कनाडा, जापान तथा फ्रान्स आदि देशों में किसान केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में लगभग 90 हजार मजदूर इस कार्य में लग हुए हैं। यह कार्य उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह हमारे देश में मधुमक्खी अथवा रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय चला हुआ है।

अमेरिका में आज हजारों परिवार अपने भूमि की मृदा स्वरूप को संवार कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रायः केंचुओं को जन्म देने वाले लाल कीड़ों के उत्पादन में वहां के व्यावसायिक ज्यादा रुचि ले रहे हैं। 5 × 5 × 1 इंच के

आयताकार बक्से में 20 हजार से अधिक केंचुओं का पालन-पोषण किया जा रहा है।

अनुसंधान प्रगति

अमेरिका में लाल कीड़ों से केंचुआ उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए तेजी से कार्य हो रहा है पर इसमें कुछ अधिक समय लगने की सम्भावना है। पौष्टिक आहार सम्बन्धी अनुसंधान-कर्त्ताओं का अनुमान है कि इन कीड़ों में जितनी ज्यादा मात्रा में एमिनो एसिड होगा किसानों को फसल उगाने के लिए उतना ही कम खर्च करना पड़ेगा।

अभी व्यापक स्तर पर यह कार्य चल रहा है कि किस प्रकार कृषि उत्पादन में केंचुओं की सहायता ली जाए जिससे कि अन्य जैविक व्यर्थ पदार्थों से प्रोटीन प्राप्त किया जा सके।

प्राकृतिक खाद की कमी, रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि, भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास तथा जनसंख्या वृद्धि आदि अनेकानेक ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से हमारी कृषि व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। इसके अलावा प्राकृतिक स्थितियां लगातार प्रतिकूल होती जा रही हैं। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि केंचुए जैसे प्राकृतिक जन्तु की मदद से कृषि योग्य भूमि को खेती के उपयुक्त बनाया जाए।

हर वर्ष नदियों में बाढ़ आने अथवा तेज वर्षा से पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी बह जाने के कारण हमारे देश की मृदा शक्ति दिन-प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। देश के कुछ भागों की भूमि एकदम क्षारीय है तो कुछ अन्य भागों की अम्लीय। इन सब परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए केंचुओं की मदद ली जा सकती है।

वस्तुत: भारत व अमेरिका की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ सीमा तक समान हैं। पर हमारे देश में इस दिशा में भी काफी कुछ होना है अथवा यह कहें कि इस दिशा में अभी कुछ नहीं हुआ है।

केंचुआ संरक्षण को एक व्यावसायिक रूप देकर, कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा; भविष्य के लिए ऐसी आशा की जा सकती है। वस्तुत: केंचुए प्रोटीन प्राप्ति के अक्षय स्रोत हैं।

प्रस्तुति वसन्त वल्लभ जोशी,
एच० 165,
नयी पुलिस लाइन,
किंग्सवे कैम्प,
दिल्ली-9

नई कृषि कार्यनीति

भारत को खाद्य प्रबन्ध का लम्बा अनुभव प्राप्त है। खाद्य सम्बन्धी अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध को बाजार भावों के उतार-चढ़ाव पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप एक राज्य नीति है। यही कारण है कि अनाज की खरीद, भंडारण वितरण और सुरक्षित भंडार आदि के निर्माण की कार्यवाहियां बड़े पैमाने पर की जाती हैं।

इस चुनौती भरे विशाल संचालन के तीन पहलू हैं। अनाज की आपूर्ति, अनाज का वितरण और अनाज का कुशल उपभोग। अनाज की आपूर्ति की सफलता पर ही शेष दो पहलुओं में कुशलता निर्भर करती है।

अब देश में खाद्य समस्या के समाधान के लिए एक व्यवहार्य और प्रभावकारी कार्यनीति का विकास हो चुका है। इसके अन्तर्गत लाभकारी मूल्य नीति के द्वारा उत्पादन और उत्पादकता में बराबर वृद्धि हुई है। अनाज के बेरोकटोक देश में लाने ले जाने से सभी जगह उसकी उपलब्धि सुनिश्चित हुई है, व्यापक स्तर पर अनाज की खरीद और सुरक्षित भंडार की स्थापना हुई है और पर्याप्त रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ है जिससे समाज के जरूरतमन्द वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सरकार का विशेष ध्यान पूरे देश में खाद्य की समुचित आपूर्ति पर है और यह प्रबन्ध नीति का प्रमुख अंग है।

भारतीय खाद्य नीति के मुख्य उद्देश्य हैं: किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना जिससे उत्पादन बढ़ाने में उसकी रुचि बनी रहे, अनाज की सब स्थानों पर उपलब्धि विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की और आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अनाज के सुरक्षित भंडार की स्थापना। इस नीति के अन्तर्गत सरकार अधिक से अधिक अनाज की खरीद पर विशेष ध्यान देती है।

अनाज उत्पादन

देश में खाद्य स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है और अनाज की कीमतों में कमी वाले क्षेत्रों और बहुतायत वाले क्षेत्रों के बीच के अन्तर में उल्लेखनीय कमी हुई है। लेकिन उत्पादन में वृद्धि गरीबी और कुपोषण को दूर करने में पर्याप्त सहायता नहीं मिली। गरीबी देश में अधिक होने के कारण अन्न के उत्पादन में बराबर वृद्धि आवश्यक है और इसके साथ ही उपभोग में समानता लाना भी आवश्यक है जिससे कमजोर वर्गों को अनाज उचित दरों पर मिल सके।

छठी पंचवर्षीय योजना में खाद्य नीति सम्बन्धी संचालनों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्धि की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विशेष भूमिका है। किसानों को लागत ढांचे को ध्यान में रखते हुए उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा ताकि वे उत्पादन (विशेषतया अनाज, दालों और तिलहनों आदि का) बढ़ाने के लिए प्रेरित हों। मौसम के उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव अनाज की कीमतों पर कम करने के लिए 1.5 करोड़ टन खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार अत्यन्त आवश्यक है।

योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इस प्रकार विकसित करने का प्रयास किया जाएगा कि वह कीमतों को नियंत्रित रखने और समान वितरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्थायी रूप से सहायक हो।

अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला-81

सफल आयोजन

चक्रधर शर्मा

व्यापार मेलों का आयोजन विभिन्न देशों के बीच व्यावसायिक समन्वय बढ़ाने का प्रमुख साधन है। यह व्यापार मेला औद्योगिक एवं विकासशील देशों के बीच तकनीकी खाई पाटने में सहायक सिद्ध होगा। वैसे तो मेले प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारे यहां व्यापार विकास के लिए हाट और मेलों का आयोजन होता आया है।

इन शब्दों के साथ महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हिदायतुल्ला ने गत 14 नवम्बर को प्रगति मैदान में 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले' का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के उपरांत आकाश में एक सफेद कबूतर छोड़ा गया और इसके बाद सैकड़ों कबूतर एक साथ आकाश में छोड़े गए। शांति और सद्भाव के प्रतीक ये कबूतर काफी देर तक प्रगति मैदान के आकाश पर मंडराते रहे। कबूतरों के साथ-साथ रंगीन गुब्बारों के खूबसूरत गुच्छे भी आकाश पर छाए रहे।

उद्घाटन समारोह में केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि इस मेले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले अब तक विकसित देशों में ही लगाए जाते रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों के बीच व्यापार सहयोग के लिए अब भारत जैसे विकासशील देश भी ऐसे मेले आयोजित करने लगे हैं।

यह मेला 14 नवम्बर को प्रारंभ हुआ और 4 दिसम्बर तक चला। भारत में आयोजित यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मेला था। इसका आयोजन 'भारतीय व्यापार मेला अधिकरण' ने किया था। इससे पूर्व 'एशिया-72' तथा 1979 का 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला' नाम से दो मेले आयोजित हो चुके थे।

'भारतीय व्यापार मेला अधिकरण' के अध्यक्ष श्री मुहम्मद यूनुस ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य भारत की आधुनिकतम उपलब्धियों की जानकारी अन्य विकसित तथा विकासशील देशों को देना तथा उनके बीच आयात-निर्यात को प्रोत्साहन देना है। इसके साथ-साथ एक उद्देश्य यह भी है कि भारत के उद्योग-व्यापार संबंधी अनुभवों तथा उपलब्धियों से अन्य विकासशील देश लाभान्वित हो सकें।

इस मेले में कुल मिलाकर 43 देशों ने भाग लिया। इसकी विशेषता यह रही कि सऊदीअरब, फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन तथा पाकिस्तान ने पहली बार किसी भारतीय मेले में भाग लिया, बल्कि फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन ने तो पहली बार किसी भी मेले में भाग लिया। अमरीका, इंगलैंड तथा चीन ने इस मेले में भाग नहीं लिया। मेले की एक अन्य विशेषता यह रही कि इसमें छोटी-मोटी चीजें बेचने का भी प्रावधान रखा गया। इसमें भारत को अपनी तकनीकी उपलब्धियां प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिला। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण था भारत का 'ऊर्जा मंडप'। इस मंडप में विश्व ऊर्जा संकट की स्थिति तथा इसके समाधान के लिए विकल्पों का भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। मेला अधिकरण के अध्यक्ष श्री मुहम्मद यूनुस ने बताया कि इस मंडप को बाद में स्थायी तौर पर 'विज्ञान मंडप' का रूप दे दिया जाएगा और 1983 में होने वाले 'विश्व ऊर्जा सम्मेलन' में यह संग्रहालय एक विशिष्ट भूमिका निभाएगा।

इस मेले को लगभग एक करोड़ व्यक्तियों ने देखा और इसमें 5 अरब रुपयों का व्यापार हुआ। पहले मेले का समय रविवार को प्रातः 10 बजे से रात्रि के 9 बजे तक तथा शेष दिनों में दोपहर 2 बजे से रात्रि के 9 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन जनता की मांग पर बाद में 21 नवम्बर से हर शनिवार को भी रविवार की तरह मेले का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि के 9 बजे तक कर दिया गया।

'मेला-81' का सबसे बड़ा मंडप सोवियत संघ का था। इसमें हस्तशिल्प जैसे लघु उद्योगों से लेकर भारी उद्योगों की मशीनों तथा आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मंडप ने भारत के साथ यह अनुबंध भी किया कि भारत रूस को 30 करोड़ रुपये का हस्तशिल्प का सामान सप्लाई करेगा। जिन भारतीय फर्मों के साथ यह समझौता हुआ, उनमें हस्तशिल्प तथा हथकरधा निर्यात निगम भी शामिल है।

दूसरे क्रम में सबसे बड़ा मंडप पाकिस्तान का था। यह मंडप दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। दर्शकों की अपार भीड़ इस मंडप की ओर आकृष्ट हुई। मंडप में पाकिस्तान के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष श्री मुहम्मद यूसुफ जिया ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने को उत्सुक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच शीघ्र ही नया व्यापार समझौता संपन्न हो जाएगा और इससे दोनों देशों को ही लाभ होगा।

भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाले अन्य देश हैं—बुलगारिया, कनाडा, हंगरी, पोलैंड इत्यादि । बुलगारिया के राजदूत श्री तोशे तोशेव ने भारत और बुलगारिया के बीच व्यापार संबंधों म आई सुदृढ़ता पर प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हाल ही की बुलगारिया यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में और अधिक वृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हो गई है । बुलगारिया मंडप के निदेशक ने सूचना दी कि भारत और बुलगारिया के सहयोग में भारत में संगमरमर और काला पत्थर (ग्रेनाइट) काटने का एक कारखाना खोले जाने का भी अनुबंध होने वाला है । यह सुनकर वहां उपस्थित एक संवाददाता ने मजाक में उनसे पूछा—"इसका मतलब यह है कि अब आप बुलगारिया की राजधानी सोफिया में भारतीय संगमरमर से ताजमहल का निर्माण कर सकते हैं ।" निदेशक महोदय भी इस मजाक पर मुस्करा दिए ।

'कनाडा मंडप' का उद्घाटन करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार संबंधों में क्रमशः वृद्धि ही होती जा रही है । उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत और कनाडा के सहयोग से बनी तीन फर्मों ने मेले में भाग लिया । उन्होंने कहा कि ये तीनों फर्में भारत और कनाडा के सुदृढ़ व्यापार सहयोग का उल्लेखनीय उदाहरण है उन्होंने बताया कि भारत द्वारा कनाडा को निर्यात माल में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस अवसर पर भारत की ओर से उपस्थित राज्य व्यापार मंत्री श्री खुर्शीद आलम खां ने दोनों देशों के बीच तकनीकी और व्यापारिक सहयोग की नई दिशाएं खोलने पर बल दिया ।

अफ्रीकी तथा अरब देशों के मंडप भी दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र बने रहे । पर सर्वाधिक चर्चित रहा पाकिस्तान का मंडप । इसमें रंगीन टेलीविजन पर प्रतिदिन पांच घंटे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ने दर्शकों का सर्वाधिक ध्यान आकृष्ट किया । भारतीय मंडप में भी रंगीन टेलीविजन के प्रसारण ने दर्शकों को आकर्षित किया । आकाशवाणी की अनुसंधान एवं विकास शाखा ने भारत में पहली बार 17 नवम्बर को अपने प्रायोगिक स्टूडियो से रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया । रंगीन टेलीविजन स्टूडियो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मंडप 'लाखों तक पहुंच' का विशिष्ट अंग था । इसके उद्घाटन के अवसर पर सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे ने रंगीन टेलीविजन के बारे में देश की तकनीकी आवश्यकता बताते हुए कहा कि यदि हमें आधुनिक तकनीक के साथ चलना है तो रंगीन टेलीविजन की व्यवस्था बहुत जरूरी है । रंगीन टेलीविजन पर प्रतिदिन सांय 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक 1.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यक्रम देखा जा सकता था । अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष डाक्टर सी० एस० राव ने बताया कि यदि बूस्टर की सहायता ली जाए तो यह कार्यक्रम 5 किलोमीटर की परिधि तक भी देखा जा सकता है । रंगीन टेलीविजन पर कार्यक्रम देखने के लिए लाखों दर्शक कतार लगाए खड़े थे । इस प्रदर्शनी में रंगीन टेलीविजन के प्रसारण से संबंधित विभिन्न तकनीकों तथा उपकरणों की जानकारी भी दी गई ।

रंगीन टेलीविजन प्रसारण का जितना ही रोचक प्रदर्शन रहा उतना ही 'संचार मंडप' का सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज का भारत में बना यह टेलीफोन एक्सचेंज अपनी किस्म का पहला और अनोखा एक्सचेंज था । नौ लाइनों वाले यह टेलीफोन एक्सचेंज में ट्रांसमीटर द्वारा संचित ऊर्जा के माध्यम से संचालित 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई थी जिसमें सौर ऊर्जा एकत्र कर ली गई थी ताकि रात के समय या बादल-घिरे आसमान में इसका उपयोग किया जा सके । एक प्रवक्ता ने बताया कि यह संयंत्र एक बार काम करने लगे तो इस पर केवल निर्माण लागत का ही खर्च आता है ।

भारतीय मंडपों में 'माडल राकेट' भी अत्यधिक चर्चित रहा । यह मंडप 'एपल' उपग्रह के डिजाइन पर बनाया गया था और इसमें राकेट की सहायता से एपल उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की विधि का प्रदर्शन किया गया था ।

'रक्षा मंडप' में रक्षा-आयुधों और भारतीय सेना के इतिहास की विस्तृत जानकारी दी गई । इस मंडप का एक विशिष्ट आकर्षण था—'हिन्दुस्तान ऐयरोनोटिक्स लिमिटेड' द्वारा निर्मित सैनिक विमानों का प्रदर्शन । इस संस्थान ने विगत पच्चीस वर्षों में विभिन्न किस्मों के लगभग एक हजार विमानों का निर्माण किया है । संस्थान के एक प्रवक्ता ने बताया कि संस्थान अगले वर्ष तक पहला भारतीय जगुआर विमान बनाने में सक्षम हो जाएगा और इसी दशक में बेहतरीन किस्म के हैलिकाप्टरों का निर्माण भी संभव हो सकेगा । मंडप में अनेक प्रक्षेपास्त्र भी दिखाए गए । भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना में काम आने वाले अनेक आयुध, संयंत्र और उपकरण देश की रक्षा-व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी देने में समर्थ रहे ।

'टाटा मंडप' ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया । मंडप में प्रवेश करते ही दर्शकों को एक रोचक दृश्य देखने को मिलता था । सबसे पहले एक 'रोबोट' (यंत्र चालित मानव) गुलाब के फूल से दर्शकों का स्वागत करता । इस 'रोबोट' के चार हाथ लगे हुए थे जिनकी सहायता से वह चीजों को उठाने, गिराने, आगे-पीछे सरकाने का काम बड़े मजे में कर रहा था । इन क्रियाओं का संचालन एक कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित था । दो कदम आगे चलकर दो अन्य 'रोबोट' दिखाए गए थे । अमर और आशा नाम के इन यंत्र-मानवों ने दर्शकों को अपने मनोरंजन के द्वारा मंत्र-मुग्ध कर दिया । खासकर, खास तौर से 'अमर' ने ट्रे, तश्तरी कांच का गिलास और गुलाब के फूलों का गुच्छा उठाकर दर्शकों की वाह-वाही लूटी । 'रोबोट' का निर्माण करने वाली संस्था 'टेल्को' के अध्यक्ष श्री मुलगांवकर ने बताया कि ये यंत्र-मानव देशी कल-पुर्जों से ही तैयार किए गए हैं । ये रोबोट अभी बिक्री के लिए तैयार नहीं किए गए हैं, फिर भी यह प्रदर्शन इस बात का पर्याप्त संकेत था कि रोबोट तकनीक में भारत ने पर्याप्त प्रगति कर ली है ।

'पुलिस मंडप' में जांच-पड़ताल की आधुनिक तकनीक और उपकरणों का पूरा ब्यौरा दिया गया था । उंगलियों के निशान के आधार पर अपराधी का पता लगा लेने वाली पूरी वैज्ञानिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी दी गई थी ।

जम्मू व कश्मीर मंडप में एक ऐसा कालीन प्रदर्शित किया गया जिसने कालीन बुनाई के

क्षेत्र में पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए। यह कालीन प्रति इंच 1023 गांठ वाला था। यह कालीन 2 फुट लंबा तथा 2 फुट चौड़ा रेशमी कालीन था। यह अपनी तरह का पहला ऐसा रेशमी कालीन था जिसमें इतनी अधिक संख्या में गांठें हों। इससे पहले केवल प्रति इंच 900 गांठ का कालीन ही प्रचलित था। मंडप के एक प्रतिनिधि का कहना था कि इस कालीन को बनाने में डेढ़ वर्ष का समय लगा। आकर्षक रंगों से बारीक डिजाइन में तैयार किए गए इस कालीन का मूल्य पचपन हजार रुपये था। इसे बनाने वाले कारीगर को राज्य सरकार द्वारा बढ़िया कालीन तैयार करने पर तीन हजार रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मंडप में इसके अतिरिक्त भी अनेक आकर्षक कालीन प्रदर्शित किए गए थे। कालीनों के अलावा, हस्तशिल्प की कलाकृतियों तथा लकड़ी पर की गई आकर्शक नक्काशी ने भी दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया।

बिहार मंडप में बिहार की औद्योगिक प्रगति का महत्वपूर्ण परिचय प्राप्त हुआ। चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में बिहार विश्वस्तर तक ख्याति प्राप्त कर चुका है। मेले के पहले ही दिन चमड़े से निर्मित लगभग सारा सामान बिक जाना इस तथ्य की पुष्टि करता था। भागलपुर के रेशमी वस्त्र, मधुबनी की चित्रकारी तथा छोटा नागपुर के आदिवासियों की दस्तकारी का प्रदर्शन भी इस मंडप के प्रमख आकर्षण रहे। छोटा नागपुर के आदिवासियों की दस्तकारी विदेशियों को बेहद लोकप्रिय है।

सिक्किम मंडप में जल-विद्युत शक्ति के संयंत्र और उपकरण प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मंडप में सीपों से तैयार की गई आकर्षक चीजें दर्शकों का मन मोह ले रही थीं। पंजाब मंडप में पंजाब की औद्योगिक प्रगति को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया था। भारी मशीनों और इलैक्ट्रोनिक्स का किस्म-किस्म का सामान पंजाब में हुए औद्योगिक विकास की पूरी झांकी का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मंडप के एक प्रवक्ता का कहना था कि पंजाब में साइकिल निर्माण का उद्योग प्रगति के चरमोत्कर्ष पर हैं। दस्तकारी की आकर्षक चीजें, गलीचे और ऊनी वस्त्र भी इस मंडप का आकर्षक बने हुए थे।

पश्चिम बंगाल मंडप में हथकरघे से बनी रेशमी और सूती साड़ियों का प्रदर्शन दर्शकों को आकृष्ट किए जा रहा था। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बुनकर को-आपरेटिव सोसाइटी ने आठ हजार से भी अधिक लोगों को नियमित रोजगार प्रदान किया है। आकर्षक डिजाइनों वाली सूती-रेशमी साड़ियों ने दर्शकों का मन लुभा लिया।

उड़ीसा और हरियाणा मंडप की सांस्कृतिक झांकियां पर्याप्त आकर्षक रहीं। राजस्थान मंडप की सांस्कृतिक झांकियां भी काफी मोहक रहीं। इस मंडप में मोहक हस्तशिल्प, विविध पत्थरों का आकर्षक सौंदर्य और राजस्थान की शूरवीरता का इतिहास प्रदर्शनी का उल्लेखनीय पक्ष था। औद्योगिक विकास की झांकियों के अतिरिक्त राजस्थानी कालीन, लकड़ी, पत्थर और पीतल पर किया गया मीनाकारी और पच्चीकारी का काम बेहद आकर्षक रहा।

मध्य प्रदेश मंडप में प्रदेश के राज्य खान निगम द्वारा आयोजित हीरे की कटाई का प्रदर्शन विशाल दर्शक समूह के आकर्षण का केन्द्र रहा। प्राकृतिक संपदा पर आधारित उद्योगों के अतिरिक्त हस्तशिल्प तथा हथकरघों से बनी चीजें आकर्षक रहीं।

पर्यटन मंडप में भारत के पर्यटन विकास की झांकी प्रस्तुत की गई। मंडप में हर हफ्ते लकी ड्रा निकालने का भी आयोजन किया गया। राज्य मंडपों में उत्तर प्रदेश का मंडप सबसे बड़ा था। इस मंडप में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक झांकियों का अद्भुत संयोजन देखने को मिला। शहनाई की मधुर ध्वनि प्रवेश के समय दर्शकों को विभोर करती, तो राज्य गरिमामय इतिहास के भी दर्शन हुए। बर्तन, कालीन, ताजमहल की प्रतिकृति जैसे हस्तशिल्प के आकर्षक नमूनों से लेकर ट्रैक्टर तथा इलैक्ट्रोनिक्स का सामान उत्तर प्रदेश के लघु और भारी उद्योग के विकास के परिचायक रहे। इस मंडप में राज्य के उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि लघु उद्योग इकाइयों की संख्या, 42,035 से बढ़कर 55,896 तक पहुंच गई है और इनका उत्पादन 880 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,076 करोड़ रुपये हो चुका है। ये आंकड़े निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की गौरव गाथा कहते हैं।

इस मेले में विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों की बहुक्षेत्रीय और बहु-आयामीय औद्योगिक प्रगति का उल्लेखनीय प्रदर्शन हुआ। भारत की यांत्रिक, तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनी इस मेले में देखने को मिली। विकासशील देशों में भारत का स्थान सर्वोपरि रहा। हस्तशिल्प और हथकरघे के कुटीर उद्योगों की चर्चा विदेशी प्रतिनिधि मंडलों की भी जुबान पर रही। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम के मंडप में देश की लगभग 200 इकाइयों के सामान की प्रदर्शनी लगी जिसमें सुई से लेकर भारी मशीनें भी शामिल थीं।

जाम्बिया, घाना, केनिया, नाइजीरिया आदि अफ्रीकी देशों से भारत को कई लाख रुपये की सप्लाई का आर्डर प्राप्त हुआ।

मेले के अंतिम दिन सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने प्रदर्शनी देखी। उन्होंने पाकिस्तान, अरब तथा अफ्रीकी देशों के मंडप भी देखे। एक संवाददाता ने जब उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुदाई खिदमतगार हूं, प्रदर्शनी के बारे में तो आप जनाब मुहम्मद यूनुस से पूछें।

इस मेले का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें भागीदार देशों को अपने मंडप के काउंटरों पर छोटा-मोटा माल बेचने की भी अनुमति प्रदान की गई थी। हर देश को इस तरह कुल पचास लाख रुपये तक के सामान की बिक्री कर सकने की अनुमति थी। विशेषकर विदेशी मंडपों को दी गई यह सुविधा कि वे प्रदर्शित सामान को विदेशी मुद्रा के भुगतान के माध्यम से बेच सकते हैं,।

इस तरह भारत ने 'अंतर्राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला-81' का आयोजन करके विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों को एक मंच पर लाने और उनके बीच व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग का सेतु बनने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस क्षेत्र में संभावनाओं के नए मानक भी स्थापित किए गए। □

1261, गुलाबी बाग,
दिल्ली-110007

एकता भाईचारा और समानता का सन्देशवाहक सिख-धर्म

✳

विनय कुमार भटनागर

एक सुहावना उद्यान, जिसमें भांति-भांति के सुन्दर-सुन्दर फूल खिले हैं। ये फूल अपने में तो सुन्दर हैं ही पर ये इस उद्यान का अभिन्न अंग हैं और इसकी शोभा बढ़ाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भी इस उद्यान के समान है। विभिन्न धर्म और मत इसी उद्यान की मिट्टी में पनपे। यहीं की वायु और जल पाकर खिले और महके और आज इस उद्यान की शोभा बढ़ा रहे हैं।

यह रूप है हमारी भारतीय संस्कृति का। 'सिख धर्म का गुलाब' इस उद्यान की शोभा बढ़ा रहा है इसके अभिन्न अंग के रूप में। गुलाब में कांटे भी होते हैं उसकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार जब-जब जरूरत पड़ी, देश की स्वतन्त्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिखों ने अपने प्राण भी लगा दिए। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने विश्व-भ्रातृत्व का सन्देश दिया जिसने भक्ति आन्दोलन को नया रूप और प्रेरणा दी। इस नए विचार दर्शन ने उस समय लोगों को नया प्रकाश दिया। एकता और समभाव की भावना पैदा की। इसने सभी धर्म वालों को सहिष्णुता, सम्मान, प्रेम और सहयोग का पाठ सिखाया। भटके हुए लोगों को प्यार की रोशनी दिखाई जो आज भी भारत को ही नहीं समस्त विश्व को अपनी आभा से आलोकित कर रही है।

गुरु नानक का सन्देश सर्वव्यापी था। राजनीतिक दृष्टि से वे किसी भी साम्राज्य-वाद और अन्याय के विरोधी थे। वीर सिख युवकों के रक्त से रंजित गौरवपूर्ण इतिहास इसका साक्षी है। आर्थिक दृष्टि से सिखधर्म आत्मनिर्भर होना सिखाता है। सिख कर्मण्यता और साहस के प्रतीक हैं। संसार का कोई कोना नहीं जहां सिख न पहुंचे हों और अपनी मेहनत और लगन से क्या व्यापार और क्या उद्योग सभी में छाए हों। बड़े से बड़ा संकट भी सिख को तोड़ता नहीं। वे बहादुरी से उसका सामना करते हैं। और गिरकर फिर उठते हैं। भारत विभाजन के बाद इसका अभूतपूर्व उदाहरण देखने को मिला।

सामाजिक रूप से सिख धर्म पाठ पढ़ाता है, विश्व बन्धुत्व का, किसी प्रकार का भेद नहीं। सब बराबर हैं। कहीं गुरुद्वारा बन रहा हो तो क्या छोटा और क्या बड़ा सभी एक साथ मिट्टी ढो रहे हैं, और ईंट उठा रहे हैं। गुरु का लंगर हो तो सब एक पंक्ति में एक साथ एक जैसा 'प्रसाद' पा रहे हैं सभी उस परमपिता की सन्तान हैं।

बिखरी माला जोड़ने वाले गुरु नानक

मध्य युगीन भारत में अज्ञान और अन्याय का अन्धकार सब ओर फैला हुआ था। रूढ़ियों और अन्धविश्वासों की बेड़ियां जकड़े हुए थीं। निराशा की भावना सर्वत्र व्याप्त रही थी। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई अनेक सन्तों का अविर्भाव हुआ ज्योति पुंज के रूप में। इसी की कड़ी में 15वीं सदी में 1469 ईसवी में एक खत्री परिवार में लोहारा (पाकिस्तान) के पास तलवंडी (ननकाना साहिब) में जन्म लिया गुरु नानक देव ने।

यह वह समय था जब मानवता बिखर रही थी। द्वेष, ईर्ष्या, अलगाव भावना सब ओर फैली थी। भारत विभक्त था अलग-अलग टुकड़ों में, विभिन्न मतों में, एक दूसरे के प्रति अविश्वास था, ऐसे समय में गुरुनानक ने एकता और प्रेम का सन्देश दिया। अन्धेरे हृदयों में सद्भाव की ज्योति जलाई। भारतमाता की बिखरी माला की कड़ियों को, विभिन्न रंग के फूलों को एक सूत्र में पिरोया। अपने पदों और साखियों के द्वारा सोयी मानवता में नूतन प्राण फूंके। कोई भेद नहीं, हिन्दु-मुसलमान, स्त्री-पुरुष, शक्ति-शाली--दुर्बल का कोई अन्तर नहीं। गुरु नानक ने उस समय फैले अन्धविश्वास, रूढ़ियों और कुसंस्कारों के खिलाफ आवाज उठाई। अर्थहीन और गलत रीति-रिवाजों की पोल खोली और एक नई चेतना भरी समाज में आज भी गुरुवाणी गूंज रही है--

"कूड़ की जंज लै काबलों आया जोरी मंगे दान वे लालो"

(जोर जुल्म के प्रति आवाज उठाई।]

क्या देश और क्या विदेश गुरु नानक

अपने शिष्यों के साथ समूचे भारत ही में नहीं, मध्य पूर्व के कई देशों में घूमे और एकता और बिखरे हुए भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोया।

गुरु नानक के बाद नौ गुरु आए। अन्तिम गुरु थे गुरु गोबिन्द सिंह। जीवन धारा को एक नया रूप दिया इन गुरुओं की वाणी ने। मुर्दों में नई जान फूंक दी इनके सन्देश ने। सभी ने एक बात कही सब समान हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं, सभी भगवान के बन्दे हैं। ईश्वर एक है चाहे किसी रूप में उनको पूजिए, फिर यह भेदभाव क्यों? भगवान की नजरों में सब बराबर हैं।

"अवल अल्ला नूर उपाय कुदरत दे सब बन्दे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मन्द"

गुरुओं ने हमें कर्म की सीख दी। निष्काम कर्म का वही सन्देश दिया जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीकृष्ण ने दिया। सादा जीवन बिताने की बात बताई जिसके इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुहम्मद साहब प्रतीक थे। उन्होंने कहा सबकी भलाई करो, किसी का बुरा न चाहो, अन्याय का मुकाबला करो। यही तो वे आदर्श थे। जिनके लिए ईसा ने अपने प्राण दिए। सभी धर्मों का सार है गुरुवाणी में, सिख धर्म व्यापक है। इसका मूल आधार है प्रेम और सद्भाव की भावना।

अगर आज की समाजवाद की धारा का अवलोकन करना हो तो देखिए सिख धर्म के गुरूओं ने जाति प्रथा और छूआछूत की भावना के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु नानक ने कहा--

"कोई छोटा बड़ा नहीं है.....छोटे वे हैं जो मालिक (ईश्वर) को भूले हैं"।

भेदभाव की भावना को खत्म करने के लिए उन्होंने लंगर (सामूहिक भोज) की प्रथा शुरू की जहां छोटे-बड़े एक साथ बैठ कर प्रभु का प्रसाद भोजन के रूप में पाते हैं। इससे न केवल समानता की भावना पैदा हुई बल्कि सिख धर्म के सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक संगठनों को जनतांत्रिक रूप मिला।

एकता के सन्देशवाहक के रूप में गुरु नानक ने भारत और विदेशों में चार प्रमुख यात्राएं कीं। वह सुदूर आसाम, श्री लंका, मक्का और तिब्बत तक गए और अपने उदारतावादी धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार किया। उन्होंने कई पदों की रचना की जिनका संग्रह गुरु ग्रन्थ साहब के रूप में है। इसमें बाद के नौ गुरुओं की वाणी भी संग्रहीत है। यही नहीं गुरु ग्रन्थ साहिब में 16 अन्य हिन्दु और मुसलमान सन्तो के पद भी हैं जिन्होंने एकता, प्रेम और भाई-चारे का संदेश दिया। इसमें जहां महाराष्ट्र के परमानन्द (ब्राह्मण) और नामदेव के पद हैं वहां उत्तर भारत के मुस्लिम सन्त बाबा फरीद, बंगाल के जय देव, रविदास, (चमार) और कबीर (जुलाहा) के भी पद हैं। इससे जाहिर होता है कि गुरुओं का दृष्टिकोण कितना व्यापक है।

किसी भी तरह के अन्याय अत्याचार और शासक द्वारा शोषण चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो सिख गुरुओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। सिख इतिहास-विज्ञ डा० गोपाल सिंह के शब्दों में, "अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब कोई उपाय नहीं बचा तब सिखों की तलवार उठी। वह भी सिर्फ आत्म रक्षा के लिए। इतिहास गवाह है कि सिखों ने युद्ध लड़े और जीते धरती के टुकड़ों के लिए नहीं साम्राज्यवादी भावना से नहीं। जब सिखों का राज्य बना उसमें भी सभी वर्गों को समान रूप से उसका लाभ मिला। धर्म को राजनीति से परे रखा गया।"

सिख धर्म राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

सिख गुरुओं ने कभी क्षेत्रीय भावनाओं और वर्ग भेद को बढ़ावा नहीं दिया। हालांकि आपस में उन्होंने 'संगत' के रूप में समूचे भारत और विदेशों में अपने संगठन को मजबूत किया। गुरुओं द्वारा स्थापित कुछ 'संगत' आज भी चल रहे हैं। इन्हें 'तख्त' कहा जाता है। पांच में से दो 'तख्त' पंजाब से बाहर हैं। ये हैं बिहार में तख्त श्री पटना साहिब, और तख्त हजूर साहिब नान्देड़ महाराष्ट्र में। **तीन अन्य तख्त हैं—पंजाब में अकाल तख्त अमृतसर में, केशगढ़ साहिब, आनन्द पुर में और तख्त श्री दमदमा साहिब।** ये तख्त सत्ता के प्रतीक हैं। यहां सिख इकट्ठे होते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते हैं और देश भर में कोने-कोने में अगिनत गुरुद्वारे हैं जहां सिख गुरुओं के सन्देश रागियों द्वारा गाए जाने वाले पदों में गूंज रहे हैं।

"पीर जगत गुरु बाबा नानक पीर जगत गुरु बाबा।"

सिख धर्म का जो स्वरूप आज है उसे 'खालसा पंथ' के रूप में चलाया अन्तिम गुरु गोबिन्द सिंह ने। इसमें भी राष्ट्रीय एकता की भावना प्रकट होती है। जरा देखिये "पंज प्यारे" भारत की एकता का प्रतीक हैं और देश के अलग-अलग भागों से आए थे। भाई दया राम (लाहौर) पंजाब (अब पाकिस्तान में), के थे, भाई धर्म दास मेरठ (उत्तर प्रदेश) के पास के थे, भाई मोहक्कम चन्द द्वारका (गुजरात) के थे, भाई साहब सिंह दक्षिण भारत से आए थे और भाई हिम्मत सिंह जगन्नाथ पुरी (उड़ीसा) के थे। यही नहीं, वे अलग-अलग वर्गों के यानी क्रमशः जुलाहा, किसान, नाई, भिस्ती, आदि थे। इस प्रकार 'खालसा पंथ' भारत की समन्वयकारी संस्कृति का प्रतीक है।

आततायी शासक का विरोध

सिख धर्म ने हमेशा आततायी शासक, अन्याय और शोषण का विरोध किया। गुरु गोबिन्द सिंह ने अपना समूचा जीवन इसी संघर्ष में होम कर दिया। खालसा पंथ के रूप में उसे नया रूप दिया। पंथ किसी सम्प्रदाय या वर्ग का विरोधी नहीं था बल्कि उन्होंने परस्पर घृणा पैदा करने वाले, सत्ता के बल पर शासित वर्ग को दबाने वाले शासक के खिलाफ आवाज उठाई और मुर्दा लोगों में नई चेतना फूंकी। उनका कहना था हर अन्याय का विरोध करो, सम्मान पूर्ण जीवन बिताओ।

गुरु गोबिन्द सिंह के बाद इस संघर्ष की बागडोर आई जम्मू के वीर राजपूत

बन्दा बैरागी के हाथ में। गुरु गोबिन्द सिंह ने बन्दा बैरागी को अपनी तलवार सौंपी और अपने तरकश से पांच बाण निकाल कर दिए। ये बाण थे प्रतीक उन पांच सिद्धान्तों के जो खालसा पंथ का मूल आधार बन गए थे ये। सिद्धान्त थे :––

1. पवित्र और ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन बिताओ।
2. सत्य सोचो, सत्य बोलो और सत्य पर चलो।
3. अपने आपको खालसा पंथ का सेवक समझो और उसकी आज्ञा का पालन करो।
4. अपना मत चलाने की कोशिश न करो।
5. विजय के गर्व में फूलो नहीं।

बन्दा बैरागी ने मुगल साम्राज्य का जुआ उतार कर पंजाब को स्वतन्त्र कराया। हालांकि यह स्वतन्त्रता थोड़े समय ही रह पाई।

महाराजा रणजीत सिंह––

सिखों ने गुरुओं की शिक्षा का पालन किया, उनमें ईश्वर और गुरु के प्रति अटूट विश्वास, देश भक्ति और बलिदान की भावना भरी। इसी सीख का परिणाम था सिख जाति का वीरतापूर्ण इतिहास। उन्होंने पंजाब को अन्यायी और अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया, यही नहीं 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह के अंतर्गत एक सुदृढ़ राज्य कायम किया। इस प्रकार देश के उत्तर पूर्व सीमान्त को विदेशी आक्रमण के विरुद्ध मजबूत बनाया।

महाराज रणजीत सिंह ने 19वीं सदी के प्रारम्भ में पंजाब की बागडोर संभाली। उनका नाम भारत के इतिहास में एक आदर्श शासक के रूप में जाना जाता है। उस समय पंजाब में सही माने में जनता का राज्य था। कहा जाता है सात साल की अवस्था में उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक किले पर कब्जा किया। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने लाहौर के ऐतिहासिक किले में प्रवेश किया और शुरूआत की पंजाब की बीसियों रियासतों की एक झण्डे के नीचे लाने की। भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के शब्दों में 'महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी बहादुरी और निष्पक्ष व्यवहार के कारण छोटे-छोटे राज्यों को एक संगठित प्रदेश का रूप दिया और कठिन परिस्थितयों में भी उसकी एकता और स्वतंत्रता को कायम रखा।"

यद्यपि महाराजा रणजीत सिंह का राज्य "खालसा राष्ट्र" के नाम से जाना जाता था, पर उन्होंने धार्मिक प्रवृत्ति का होते हुए भी धर्म को राजनीति से अलग रखा। उनकी नजरों में सब धर्म बराबर थे। उनकी राजधानी अमृतसर न होकर लाहौर थी। उनके प्रशासन और सेना में हिन्दु और मुसलमान दोनों ही थे। उनके कुछ अधिकारी यूरोपियन और ईसाई भी थे। उनकी सेना में सभी वर्गों के लोग थे।

महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, ज्वालामुखी नान्देड़ के मंदिरों को दान दिया। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि विश्व प्रसिद्ध 'कोहेनूर' हीरा, पुरी में जगन्नाथ जी के मन्दिर को दान किया जाय। उन्होंने गोहत्या करने वालों को सजा दी। उनकी धार्मिक उदारता का पता एक घटना से लगता है। एक मुस्लिम सुलेखकार ने कुरान की हस्तलिखित प्रति तैयार की। उसे बेचने वह रामपुर, हैदराबाद और हैदराबाद के मुस्लिम राजाओं के दरबार में गया। पर उसकी कीमत दस हजार रुपये होने के कारण किसी ने भी उसे नहीं खरीदा। वह उस प्रति को लेकर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। महाराजा ने उठकर आदर पूर्वक पवित्र कुरान को चूमा और अपने राजस्वमंत्री को उसकी कीमत देने को कहा। जब किसी ने कहा, "महाराज दूसरे धर्म की पुस्तक के लिए इतनी कीमत क्यों दे रहे हैं।" तब उन्होंने कहा "मुझे ईश्वर ने सभी धर्मों को एक समान देखने का आदेश दिया था।" यह थी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की विरासता जो सिख मत को अपने गुरुओं और महाराजा रणजीत सिंह से मिली।

स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान

सिख जाति ने स्वतन्त्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान दिया। पंजाब सदैव से राष्ट्रीय आन्दोलन का केन्द्र रहा। पंजाब और अमतसर में स्वतन्त्रता सेनानियों की गतिविधियां काफी सक्रिय रहीं। ब्रिटिश शासकों द्वारा जलियां–वाला बाग की खूनी दास्तान को क्या कोई भुला सकता है। इसी वीर प्रसु जाति ने सरदार भगतसिंह और उधम सिंह जैसे सपूत दिए जिन्होंने हंसते-हंसते भारत मां के चरणों में प्राण न्योछावर कर दिए।

बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कूका नामधारी सिखों ने 1847 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। 86 कूका को तोप से उड़ा दिया गया और कई फांसी से लटका दिए गए। 1872 में बाबा राम सिंह को रंगून निष्कासित करने के बाद इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। उन्होंने विदेशी सरकार से असहयोग किया। वे सिर्फ हाथ का बुना कपड़ा पहनते थे। महात्मा गांधी से काफी पहले नामधारियों ने असहयोग आन्दोलन और स्वदेशी की आधारशिला रख दी थी।

स्वतन्त्रता संग्राम में 'गदर पार्टी' का योग भुलाया नहीं जा सकता। कनाड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में स्वतन्त्रता प्रेमी सिखों ने इस पार्टी का गठन किया। सानफ्रान्सिसको में 21 अप्रैल, 1913 को 'गदर आश्रम' की स्थापना की। इस संगठन ने इन देशों में रहने वाले भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति चेतना पैदा की।

1930-40 के दशक में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ आतंकवादी आन्दोलन में भी सिख आगे रहे जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। 'बब्बर अकाली' के नाम से जाने वाले मास्टर मोता सिंह और रिटायर्ड हवलदार किशन सिंह बिडंग का नाम सदैव याद किया जाएगा। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज का गठन और सूत्रपात एक सिख जनरल मोहन सिंह ने किया और बाद में उसकी बागडोर नेताजी को सौंप दी। आजाद हिन्द फौज का गौरवपूर्ण इतिहास अनेक सिख युवकों के रक्त से लिखा गया।

स्वतंत्रता के बाद

स्वतन्त्रता के बाद हुई देश की आर्थिक प्रगति में सिख कन्धे से कन्धा मिला कर चले। चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति हो या औद्योगिक विकास सिखों ने अपना पूरा योगदान दिया। आज जहां खेतों में सिख अनाज का उत्पादन बढ़ाने के काम में जुटे हैं वहां लुधियाना, जालन्धर, बटाला में औद्योगिक केन्द्रों में देश को खुशहाल बनाने के लिए उद्योग धन्धे चलाने में लगे हुए हैं।

बहादुर सिख जाति सेना का प्रमुख अंग रही है। पिछले 100 वर्षों से ये हमारी सेना की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। अनेक युद्धों में सिख सैनिकों ने बहादुरी के इतिहास लिखे और ख्याति अर्जित की है।

खेल हो या साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र हो, सिखों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय हाकी में जहां बलबीर सिंह, प्रितपाल सिंह, गरबख्श सिंह, हरमीत सिंह, अजीतपाल सिंह, और आजकल भारतीय टीम के कप्तान सुरजीत सिंह ने धाक जमाई, क्रिकेट में बेदी और फुटबाल में जरनेल सिंह, इन्दर सिंह, परमिन्दर सिंह आदि ने नाम कमाया। मिलखा सिंह 'फ्लाइंग सिख, के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय गोल्फ चैम्पियन विक्रम जीत है।

इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भाई वीर सिंह, राजेन्द्र सिंह बेदी, करतार सिंह दुग्गल, अमृता प्रीतम, एम० एस० रंधावा, प्रभजीत कौर आदि नाम उल्लेखनीय हैं। कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल, जसवन्त सिंह और कृपाल सिंह के नाम भुलाए नहीं जा सकते। डा० गन्डा सिंह और डा० गोपाल सिंह जैसे इतिहासकार मशहूर हैं। इस प्रकार हरेक क्षेत्र में सिख जाति ने अपना योगदान दिया।

यह कहना गलत है कि सिख पंजाब में ही सीमित हैं। सिख जम्मू काश्मीर से कन्या कुमारी तक आसाम से कच्छ तक सब जगह फैले हैं। वे भारत मां की वीर सन्तान हैं। भारत माँ की स्वतन्त्रता और रक्षा के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। वे भारत से अलग नहीं हैं भारत का अभिन्न अंग रहे हैं जैसा कि इतिहास बताता है। उनकी रगों में गुरुनानक, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोबिन्द सिंह, बन्दा बैरागी, महाराजा रणजीत सिंह, बाबा राम सिंह, सरदार भगत सिंह का खून बह रहा है। देश भक्ति उनकी रग-रग में समाई है। सिख धर्म कोई अलग धर्म नहीं है वह उदारतावादी, सहिष्णु है और बन्धुत्व को बढ़ावा देने वाला है। यह धर्म भारतीय मिट्टी में पैदा हुआ, यहीं फला-फूला, और महका और अपनी सुरभि से इस उद्यान को सुरक्षित किया। सिख धर्म जहां गुलाब के रूप में इस उद्यान की शोभा बढ़ा रहा है, वहां गुलाब के कांटों के रूप में सिख भारत मां की रक्षा के लिये सन्नद्ध हैं और इसके लिए अपने प्राण लुटाने को तैयार हैं। □

317, कृषि भवन,
नई दिल्ली

ग्राम तक सड़क

जो हमको गाँवों से जोड़े, आओ, ऐसी सड़क बनाएं।
पंचायत मुख्यालय से हम दूर दराज गांव तक जाएं।।

शहरों से गांवों की दूरी,
ग्रामीणों की है मजबूरी;

सबसे पहले कामगरों के जीवन के निर्माण सजाएं।
जो हमको गांवों से जोड़े, आओ ऐसी सड़क बनाएं।।

अपने तो जीवन की थाती,
श्रम का दीप: स्वेद की बाती;

झुग्गी से उद्योगों तक के सभी रास्तों को उजलाएं।
पंचायत मुख्यालय से हम दूर दराज गांव तक जाएं।।

निपटाने हैं काम अधूरे,
होंगे तब ही सपने पूरे;

साहस-कर्म और पौरुष से पाषाणों में फूल खिलाएं।
जो हमको गांवों से जोड़े, आओ ऐसी सड़क बनाएं।।

तारादत्त निर्विरोध
2162, खेजड़े का रास्ता
जयपुर (राजस्थान)

रुपये की कहानी—कलम की जुबानी

❋ विद्यादत्त शर्मा ❋

सृष्टि के अनन्तर मनुष्य ने अपना स्थान पाने के बाद जीवन-यापन के साधन ढूंढने प्रारम्भ किये। समय व सभ्यता की प्रगति के साथ वे साधन भी बदलते गये। समाज के कार्य परस्पर लेन-देन से ही चलते आये हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने अपनी चल-सम्पत्ति जैसे पशु एवं धान्य (अनाज) से यह काम अपनी आवश्यकता के अनुसार किया। इसी को वार्टर सिस्टम (विनिमय) कहा गया। विनिमय द्योतक कुछ पुराने शब्द जैसे पचगु, पंचाश्वा. मौद्रिगकम अंग्रेजी में पिक्वनियरी उल्लेखनीय हैं। इसके बाद सामाजिक प्रगति के साथ यह स्थान खनिज पदार्थों (सोना, चांदी इत्यादि) ने लिया जिसका विकसित रूप आज के सिक्कों तथा नोट आदि में दिखाई देता है।

हमारे देश में इस विषय पर कौटिल्य और टोडरमल आदि कई विद्वानों के विचार आज भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। प्राचीन काल में यहां भी कई प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे जिनमें निष्क, शतमान, सुवर्ण, पार, पण, कार्षापण, विषतिक भिशतिक आदि का नाम उल्लेखनीय है। आज के रुपये का पूर्व रूप "रूप्यकम" भी हमारे यहां बहुत पहले से चलता रहा। कौड़ियों तथा हुण्डियों के द्वारा भी समाज ने अपना काम चलाया। चांदी का रुपया शेरशाह के समय में सामने आया। मुगल काल तथा अंग्रेजी काल से चलता हुआ रुपया आज भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाये हुये है। पर, इसकी कीमत में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे और उसकी कीमत अधिकतर घटती ही रही।

चौदहवीं शताब्दी में यानी आज से लगभग 600 वर्ष पहले एक रुपये में कितनी वस्तु आ सकती थीं उसे निम्न आंकड़ों के द्वारा देखा जा सकता है :—

13वीं शताब्दी में :—

वस्तु	मात्रा
चावल	3-1/4 मन प्रति रुपया
तिल का तेल	1-1/2 मन प्रति रुपया
घी	25 सेर प्रति रुपया
महीन कपड़ा	5 गज प्रति रुपया
मुगल काल (अकबर के समय में)	
चावल	1-1/2 मन प्रति रुपया
दाल	45 सेर प्रति रुपया
नमक	2 मन प्रति रुपया
अंग्रेजों के समय (1910) में	
चावल	32 सेर प्रति रुपया
दाल	25 सेर प्रति रुपया
तेल	8 सेर प्रति रुपया
द्वितीय विश्व युद्ध के समय (1939)	
बढ़िया चावल	8 सेर प्रति रुपया
दाल	8 सेर प्रति रुपया
शक्कर	3-1/4 सेर प्रति रुपया
घी	1-1/4 सेर प्रति रुपया
कोयला	1/2 मन प्रति रुपया
दूध	8 सेर प्रति रुपया

एक समाचार पत्र में 7 जुलाई, 1917 को एक विज्ञापन छपा था जिसमें लुधियाना के सिटी पुलिस के सिपाही झण्डे खां के खोए हुए पुत्र की तलाश में एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि "मेरा लड़का फौज में भरती हो गया है पर उसका कोई पता मालूम नहीं है। पता देने वाले को एक रुपया इनाम दिया जायेगा।" जरा इस एक रुपये की कीमत देखिए और देखिए उसकी करामात, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे रुपया नहीं करा सकता है। भगवान, देवी-देवताओं को भी यह प्यारा रहा है। हमारे यहां तो इसका द्योतक लक्ष्मी शब्द विष्णु की पत्नी साक्षात् लक्ष्मी का ही बोधक है। अर्थ और धन के द्वारा भी इसे जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में रुपये की क्रय शक्ति देखने योग्य रही जिसका परिचय निम्न शब्दों द्वारा मिलता है :—

"उस समय का रुपया एक समय में 4 मन चावल, 2 मन तेल, 1-1/4 मन घी, दाल 4 मन, नमक 2 पैसा प्रति मन तक खरीद लेता था।"

विदेशी होते हुए भी मुसलमान बादशाहों ने इस देश को अपनाया, इसे अपनी भूमि मानकर इसकी सुख-समृद्धि में पूरा पूरा योगदान दिया। दो सौ साल यहां राज कर चले गए अंग्रेजों ने यहां जो व्यवस्था चलाई उसी का दुष्परिणाम हमें आज के स्वतंत्र भारत में भी दिखाई देता है। यह दिशा ही शोचनीय है। प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक कार्य को धर्म का नाम देकर सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न होता रहा, धन के उपार्जन में भी धम का हाथ रहा। सच्चाई, परहित और शोषण-हीनता एवं वैधता ने धन को बदनाम नहीं होन दिया। उस समय आदमी जानता था कि दूसरों को दुख देकर या सताकर कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता उनकी धारणा थी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पर, आज लूट-खसोट की जो स्थिति है उसमें अंग्रेजों द्वारा महान योगदान हुआ। आज की कुछ लोकोक्तियां बड़े अच्छे ढंग से दर्शाती हैं जैसे भाई भलो न भैया, सबसे भलो रुपय्या।

रुपये की गिरती कीमत या साख का अनुमान लगाते समय रुपये की आज की क्रय

शक्ति का बखान करना आवश्यक हो जाता है । जरा देखिये :—

सन 1952 में :

वस्तु	मात्रा
चावल	एक सेर दो छटांक प्रति रुपया
घी	5 छटांक प्रति रुपया
कोयला	1/2 मन प्रति रुपया
सन 1981 में :	
चावल	1/4 किलो प्रति रुपया
दाल	200 ग्राम प्रति रुपया
घी	30 ग्राम प्रति रुपया
गेहूं	1/2 किलो प्रति रुपया
तेल	60 ग्राम प्रति रुपया
नमक	1/2 किलो प्रति रुपया
दूध	3/10 लिटर प्रति रुपया

पर यह बात नहीं भुलाई जा सकती कि महंगाई का प्रकोप लगभग सभी देशों में एकसा है पर विकासशील देशों में यह ज्यादा इसलिए महसूस होता है कि वहां तेजी से उद्योगीकरण हो रहा है जिसका परिणाम महंगाई है । हमारी सरकार महंगाई की रफ्तार को कम करने का भरसक प्रयत्न कर रही है । हम देखते हैं कि रुपये की इस दशा या महंगाई से समाज का प्रत्येक वर्ग दुखी है परन्तु अपने दुख को छिपाने में आज का मनुष्य कुछ अधिक चतुर है जिसके कारण असन्तोष की मात्रा बढ़ती जा रही है । समाज में अव्यवस्था फैलाने में भी इसका हाथ है । लोगों ने आज रुपया जमा न कर सम्पत्ति बटोरना अधिक लाभकर समझा है और भौतिक दृष्टिकोण फैलता जा रहा है । फिर भी देश विदेश में आदान-प्रदान (विनियम) का माध्यम तो रुपया ही रहेगा । इसका अवमूल्यन होता ही जा रहा है ।

रुपयों एवं सिक्कों ने आर्थिक क्षेत्र में उथल-पुथल तो देखी ही है, उनसे सामाजिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र की जानकारी भी मिलती है । रुपयों तथा सिक्कों पर अंकित मूर्तियों एवं शब्दों से तत्कालीन समाज की स्थिति का ज्ञान होता है, धन सम्बन्धी सूक्तियां भी समाज में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं, उदाहरणार्थ—

वयो वृद्धा : तपो वृद्धाः ये च वृद्धा : बहुश्रुता : ।

ते सर्वे धनवृद्धानां द्वारि तिष्ठन्ति किंकरा : ।।

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन :—।
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयान्ति ।।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार रुपयों की ऐसी दिशा से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए । विकासशील सभी देशों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है और फिर आज की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं रह गई है । विश्व की घटनाओं का (विशेषरूप से पेट्रोल की बेतहाशा महंगाई के कारण) प्रभाव आज के संदर्भ में प्रायः सभी देशों पर पड़ता है और हमारा रुपया भी उससे अछूता नहीं रह सकता । इसके होते हुए भी आज के भारतीय समाज में खुशहाली अधिक दिखाई दे रही है और समाजवाद प्रभावी ढंग से फैलता जा रहा है । अवमूल्यन एवं गिरती साख से भी रुपया अपना महत्व बनाए हुए है । जो कुछ हो रुपये का तो महत्व बना हुआ है ही और बना रहेगा ही, पर महंगाई को रोकने में व्यापारी वर्ग निश्चय ही सहायक हो सकता है । अकेली सरकार पर इस मसले को छोड़ना क्या सुचारू लोकतंत्र के दायित्व को नकारना नहीं है ? ▭

जिन्दगी—पांच प्रसंग

1

बड़ों ने कहा
जिन्दगी दोने में भरा पानी है ।
लेकिन आज प्लास्टिक का
तेज रंग वाला मग है
जिसमें झाल लगाने वाले
सस्ते में ही मिल जाते हैं ।

2

एक पीढ़ी आ रही है
एक पीढ़ी जा रही है
लेकिन हम जो हैं
छिपकली की पूंछ की तरह
अपने ही जिस्म से कट कर
छटपटा रहे हैं ।

3

देख रहा हूं—जिन्दगी दौड़ रही है
लक्ष्यहीन—निरुद्दश्य
दिशा—विदिशा—
पटरियां भी समानान्तर नहीं हैं ।
आओ, जल्दी करो
हम अपने को फ्रिज में बंद कर लें ।

4

एक गंध से सुगंध तक
एक नाद से मधुर रागिनी तक
रंगीनी से रंगीनी तक
अस्वाद से स्वाद तक
और सिल्क से पोलिएस्टर तक—
जिन्दगी तेजी से बहती रही
लेकिन जब चुपचाप सांझ उतरी
तो मैंने देखा
मेरी नाव तो एक ही खूंटे से
बंधी रही ।

5

मेरी खिड़की के सामने —
एक ठूंठ है—एकदम सूखा !
लेकिन हर सुबह
उस पर एक बुलबुल का जोड़ा
आकर बैठता है —
मैं सोचता हूं
जब वृद्धावस्था आएगी
पुत्र और पुत्रवधू
मेरे आंगन में आएंगे
और शायद ठूंठ छोड़कर
उड़ जाएंगे ।

राजेन्द्र शर्मा
1625, द्वारकापुरी,
शाहदरा, दिल्ली -32

डाकघर बचत बैंक के अनेक आयाम

वी० ई० अरुणाचलम
सदस्य, डाकतार बोर्ड

लोग डाकघर बचत बैंक से परिचित हैं पर राजकीय बचत बैंक से नहीं। राजकीय बचत बैंक 1 अप्रैल, 1882 को डाकघर बचत बैंक में परिवर्तित कर दिए गए थे। उससे पहले वर्ष 1833 में प्रेसीडेंसी बैंक होते थे और 1870 में जिला बचत बैंकों की स्थापना हुई। दोनों बैंक कुछ वर्षों तक डाकघर बचत बैंक के साथ-साथ काम करते रहे। डाकघर बचत बैंक इसलिए बनाए गए कि डाकघर एक ऐसा माध्यम है जो कि देशभर में किसी भी योजना को पूरा करने का काम कर सकता है। इसकी उपलब्धियों से आशाओं की पूर्ति हुई। पहले केवल 180 बैंक थे जबकि प्रथम वर्ष के अन्त तक इनकी संख्या 4238 हो गई और 39,000 जमाकर्ताओं ने 28 लाख रुपये इनमें जमा किए।

डाकघर एजेंसी तत्काल प्रभावशाली रही। पिछले एक सौ वर्षों में इसकी लगातार प्रगति उल्लेखनीय रही है। 31 मार्च, 1970 तक 86,007 डाकघर बचत बैंक थे, इनमें 197.2 लाख खाते थे जिनमें 890 करोड़ रुपये की धनराशि जमा थी। वर्ष 1980 तक डाकघर बचत बैंकों की संख्या बढ़कर 1,36,000 हो गई जिनमें 450 लाख खाते थे और उनमें 6,826 करोड़ रुपये की धनराशि जमा थी। आज पूरे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा धनराशि का 23 प्रतिशत धन डाकघर बचत बैंक में जमा है। यह धनराशि जापानी डाक बैंक, जोकि विश्व में निजी बचत का एक मात्र सबसे बड़ा बैंक है, में जमा धनराशि के बहुत निकट है।

व्यापक फैलाव

डाकघर बचत बैंकों का फैलाव सभी वाणिज्यिक बैंकों के फैलाव से चार गुना अधिक है। इसका कारण लोगों से उनकी निकटता और सादगी है। इंग्लैंड और जापान जैसे विकसित देशों की तुलना में वे भारत में अधिक प्रासंगिक हैं।

इंग्लैंड, जिसने डाकघर बैंक के विचार का प्रसार किया, इस प्रबल विचार से प्रभावित हुआ कि इससे दूरदराज के क्षेत्रों में आम जनता तक उनकी पूंजी के निवेश के लिए पहुंचा जा सकता है। यह भी विचार था कि इस प्रकार निवेश किया गया धन राष्ट्र के लिए लाभदायक होगा। भारत ने स्वयं को इन दोनों विचारों के योग्य सिद्ध किया है। डाकघर बचत बैंक में, साधारण से लेकर समृद्ध लोगों तक, इस समय लगभग 450 लाख जमाकर्ता हैं। 655 रुपये औसत बैंक बचत धनराशि से यह बात सिद्ध हो जाती है। डाकघर बचत बैंकों से पंचवर्षीय योजनाओं को लगभग 5 प्रतिशत धन दिया जाता रहा है। इन कारणों से सरकार डाकघर बचत बैंकों पर भरोसा करती है।

अलग-अलग योजनाएं

राजकीय बचत बैंक अधिनियम 1973 के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक चार योजनाएं चला रहा है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :—साधारण बचत बैंक जिसमें धन निकालने की सुविधा पर कोई प्रतिबंध नहीं है ; 10 वर्षीय सावधिक जमा खाते और पंचवर्षीय आवर्ती जमा खाते जोकि प्रतिमाह एक निश्चित राशि का दीर्घकालीन निवेश है, अवधि समाप्त होने पर जिसका भुगतान होता है: आवर्ती जमा योजना दीर्घकालीन निवेश है। इन पर प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है और अवधि समाप्त होने पर धरोहर का पुनर्भुगतान। डाकघर बचत बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और इसके सहायक बैंकों के साथ-साथ सार्वजनिक भविष्य निधि का संचालन भी करते हैं। वर्ष 1980-81 के अन्त में विभिन्न डाकघर बचत बैंक योजनाओं में सर्वाधिक जमा योजना का स्थान सर्वप्रथम रहा। इसके खातों में 3582 करोड़ रुपये जमा थे, इसके बाद बचत बैंक का स्थान था जिसके खातों में 1,997 करोड़ रुपये जमा थे।

विभिन्न श्रेणियों के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाएं आरम्भ की जाती हैं। वर्ष 1959 से ऐसा हो रहा है। तब तक डाकघर बचत बैंक में साधारण बचत बैंक योजना के अन्तर्गत 15,000 रुपये तक एक खाते में स्वीकार किए जाते थे, पिछले 20 वर्षों में इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

डाकघर बचत बैंक वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हैं। फिर भी इनकी संचालन सुविधाएं, कुछ हद तक, वाणिज्यिक बैंकों जैसी ही हैं।

वर्ष 1980-81 में डाकघर बचत बैंक में जमा राशि में 14.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष में उत्पादन दर के 18 प्रतिशत होने की संभावना है। डाकघर बचत बैंक का भविष्य उज्जवल है। यह वास्तव में लोगों का बैंक है। ▭

कहानी

नया जीवन

अखिलेश्वर

फूलों की मालाओं से लदा हुआ हरफूलसिंह बीच वाली कुर्सी पर बठा था। इर्द-गिर्द की कुर्सियों पर मुख्य अतिथि भार्गव साहब, सरपंच रामदयाल आदि बैठे हुए थे। सामने गांव के बच्चे, बूढ़े, नौजवान आदि बैठे थे। हरफूलसिंह का अभिनन्दन करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि भार्गव साहब का भाषण चल रहा था 'गांव के विकलांगों को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाकर जो महान कार्य हरफूलसिंह जी ने किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।'

लेकिन हरफूलसिंह किन्हीं और ही विचारों में खोया हुआ था। उसके मस्तिष्क में बीते हुए समय की घटनाएं चल-चित्र की भान्ति घूम रही थीं। शहर में लकड़ियों के आरे पर वह एक साधारण सा मजदूर था। एक तख्ते को चीरते समय उसका थोड़ा सा ध्यान चूका था कि हाथ आरे में आ गया था। भयंकर पीड़ा हुई थी और कपड़े खून से भर गए थे। मालिक ने उसका इलाज तो करवा दिया था लेकिन वह अपना दायां हाथ सदा-सदा के लिए खो बैठा था। केवल बायां हाथ लिए जब वह गांव लौटा तो भाई और भाभी की पूरी-पूरी सहानुभूति उसे मिली थी।

अब वह बिल्कुल बेकार बैठा रहता था। भाई के बच्चों के साथ खेलता रहता था, सुबह-शाम यूं ही गांव में घूमता। धीरे-धीरे भाभी उसे बोझ समझने लगी, आखिर नौजवान आदमी को बिना कोई काम किए वह भी कब तक रोटी खिलाती? एक दिन तंग आकर उसने कह ही दिया, "भाई की आमदनी और घर का खर्च भी कभी देख लो लाला। शहर थे तब तो कभी भाई की मदद के लिए एक पैसा नहीं भेजा, अब जीवन भर उसी के टुकड़ों पर पलने का विचार है क्या?"

बात हरफूलसिंह के हृदय में चुभ गई। गांव के भी कुछ लोग उसे इसी प्रकार ताना दे चुके थे। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आज जब स्वयं भाभी ने कह दिया तो वह गहरी चिन्ता में डूब गया। उसे लगा कि सचमुच उसकी स्थिति भी लंगड़े चतरु, अंधे सुखिया और गूंगी रुकमा जैसी ही है, जो दिन भर गांव में भीख मांगते हैं। यह अलग बात है कि वे गांव के भिखारी हैं और वह खुद अपने घर में भिखारी जैसा है। उसने भाभी के शब्दों को गांठ में बांधा और बिना कुछ कहे उठकर चला गया।

घर के पिछवाड़े पीपल के नीचे बैठा हुआ वह देर तक विचारों में डूबा रहा। शाम होते-होते उसने लंगड़े चतरु, अंधे सुखिया, गूंगी रुकमा और ऐसे ही अन्य विकलांगों को पीपल के नीचे इकट्ठा कर लिया। सब उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर देख रहे थे। वह गम्भीर होकर बोला, "अपनी रोटी जुटाने के लिए हम दूसरों का मुह कब तक ताकते रहेंगे।"

"हम अपाहिज और कर भी क्या सकते हैं?" अंधा सुखिया दीन स्वर से बोला।

"क्यों नहीं कर सकते?" हरफूलसिंह ने कहा, "अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो अपनी रोटी जुटा सकते हैं।"

"कैसे?" पोलियो के कारण एक पांव खो देने वाले रतीराम ने पूछा।

"मैं लम्बे समय तक शहर में रहा हूं।" हरफूलसिंह ने बताना शुरू किया, "कई प्रकार के कार्य भी मैंने शहर में रहकर देखे और सीखे हैं। यदि आप मेरा सहयोग दें तो हम अवश्य ही आत्म-निर्भर हो सकते हैं।"

"हम तैयार हैं।" सभी एक साथ बोले।

"तो सुनो" हरफूलसिंह उत्साहपूर्वक बोला, "गांव के स्कूल और पंचायत की काफी कुर्सियां और मेजें टूटी हुई हैं।

मैं उनकी मरम्मत का काय अपने हाथ में लूंगा। चतरु इस कार्य में मेरी मदद करेगा।"

"मुझे मंजूर है।" चतरु ने उत्तर दिया।

"बैंत की कुर्सियां बुनने का कार्य गूंगी रुकमा को सिखाऊंगा। सभी कुर्सियां वही बुनेगी।" गूंगी रुकमा ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी।

हरफूलसिंह आगे बोला, "शहर से जाकर रद्दी कागज लाऊंगा और रतीराम को लिफाफे बनाने सिखाऊंगा। लिफाफे गांव व शहर दोनों जगह बेचे जाएंगे। हंसराज को जिल्दसाजी सिखाई जाएगी। स्कूल के बच्चों की किताबों पर जिल्द बांधने का कार्य उसे करना होगा। और अंधा सुखिया आज के बाद भीख मांगने के लिए अपना हारमोनियम नहीं बजाएगा, बल्कि गांव के बच्चों, नवयुवकों, महिलाओं में जो भी गीत, भजन सीखना चाहे या हारमोनियम सीखना चाहे, उन्हें सुखिया सिखाएगा।" "हम सब ये कार्य बड़ी लग्न से करेंगे।" सभी एक स्वर में बोले।

योजना के अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया गया। देखते-देखते स्कूल व पंचायत के टूटे-फूटे फरनीचर का कायाकल्प हो गया। बच्चों की पाठ्य-पुस्तकें और घर में रखी हुई फटी-पुरानी पुस्तकें नई जिल्दों में सज गईं। सुखिया के पास सुबह-शाम हारमोनियम सीखने वाले आने लगे। रतीराम के आगे रद्दी कागजों से बने लिफाफों का ढेर लगा ही रहता। इन सब कार्यों से जो रुपया-पैसा बचता उन्हें हरफूलसिंह उन्हीं कार्यों के विकास में लगाता। उसके सभी सहयोगी अब स्वावलम्बी हो चुके थे। लेकिन हरफूलसिंह अभी तक संतुष्ट नहीं था। उसकी योजना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। वह गांव में एक ऐसी संस्था की स्थापना करना चाहता था जहां भविष्य में विकलांगों को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस कार्य के लिए उसने जनसम्पर्क किया। गांव में लोगों की मदद मांगी। सरपंच साहब के सद्प्रयासों से पंचायत भवन के पास ही उस संस्था के भवन के लिए जगह भी मिल गई थी। गांव वालों की मदद से हरफूलसिंह ने उसके चारों ओर कच्ची दीवार खड़ी करवाई। कुछ कच्चे-पक्के कमरे भी बनवाए। बीचों-बीच एक छोटी सी फुलवाड़ी भी।

खुद अपने हाथों से उसने एक बड़ा सा बोर्ड तैयार किया जिस पर स्कूल के चित्रकला अध्यापक से लिखवाया गया, 'विकलांग कल्याण केन्द्र'।

आज उसी 'विकलांग कल्याण केन्द्र' का उद्घाटन समारोह था, साथ ही हरफूलसिंह का अभिनन्दन भी। उद्घाटन के लिए शहर के प्रमुख समाजसेवी भार्गव साहब मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। कार्यक्रम शुरू हो गया था। मुख्य अतिथि महोदय अपना भाषण समाप्त कर अपने स्थान पर बैठ चुके थे। लेकिन हरफूलसिंह अभी भी अपने विचारों में खोया हुआ था। सहसा कमला भाभी ने उसका ध्यान भंग किया। महिलाओं के बीच बैठी हुई कमला भाभी धीरे से उठी और लज्जित भाव से हरफूलसिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। कांपते हुए हाथों से उसने फूलों का एक गुलदस्ता हरफूलसिंह को भेंट किया और गिड़गिड़ाहट भरे स्वर में बोली, "मुझे माफ कर दो, भैया। उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया था। तुम्हारे कारण आज मेरा और तुम्हारे भाई का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया है।"

हरफूलसिंह एक क्षण शून्य दृष्टि से भाभी की ओर देखता रहा। फिर भरे गले से बोला, "तुम्हारी प्रेरणा से ही तो यह सब हुआ है, भाभी। अगर उस दिन तुम मेरी आंखें न खोलती, तो मैं आज भी अपने घर में भिखारी होता और ये मेरे सहयोगी गांव में भीख मांगते। तुमने हम सब को नया जीवन देकर आत्मनिर्भर बनाया है। मैं तुम्हारा यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।" कहते हुए हरफूलसिंह ने श्रद्धापूर्वक भाभी के पैर छू लिए। शहर से आए पत्रकारों ने फोटो खींच कर इस दृश्य को अपने कैमरे में बंद कर लिया। सारी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। □

अखिलेश्वर
30, सब्जी मण्डी ब्लाक
श्री करनपुर-335073
(राजस्थान)

"पौधा लगाया था जिन्होंने, वे नहीं मौजूद हैं, पानी लगाया था जिन्होंने, वे भी किनारा कर गए, फूल आया, फल लगे पर, चखने वाले और हैं, ए ! चखने वालो फल चखो, पर पौधे को जर-जर ना करो।"

म. पा. सिंह

रूपक

नई लहर

पूरन चन्द

(प्रस्तुत रूपक में साहूकार और कर्जदार दोनों के चरित्र का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रथम दृष्य पिछले अंक में छप चुका है और शेष भाग प्रस्तुत है।)

दूसरा दृश्य

गांव में मुनादी हो रही है कि सरकार द्वारा घोषित 20 सूत्री कार्यक्रमों के प्रचार के लिए युवक कार्यकर्ता जीवन लाल पूरे कस्बे में आए हुए हैं तथा लोगों को सब बातें समझा रहे हैं। आस-पास के किसान चौपाल पर एकत्रित हो रहे हैं।

राम काका : ओ रे किसना, सुना है शहर से कोई बाबू आया है। सब उसको प्रधान मंत्री जी का खास आदमी बता रहे हैं।

किसना : अरे हां, सुना तो मैंने भी है। आज हमारे गांव में उसका डेरा है।

तुलाराम : हम तो पढ़े-लिखे हैं नहीं, फिर भी इतना तो सच है कि, अब की बार बड़े बड़न को अच्छी मुसीबत आई है।

राम काका : गरीब को सताने वाले का अंत बुरा होता है।

तोता राम : सो तो है ही, आखिर उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, वह सब कुछ देखता है। कहावत है गरीब की हाय राजा को भी ले डूबती है।

तुला राम : हमारे खून पसीने की कमाई पर मौज उड़ाने वाले ये सेठ साहूकार अब ज्यादा दिन अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं।

तोता राम : हां, भैया अब इनसे भी हिसाब मांगने वाले पैदा हो गए हैं। वो कहावत है न कि सौ सुनार की और एक लुहार की। अब तक ये हमें दोनों हाथों से लूटते थे और अब प्रधान मंत्री के एक ही वार से इन मोटे पेट वालों के तो जैसे हाथ-पांव ही फूल गए हैं।

किसना : अच्छा राम काका––आज जो भलामानस यहां हमें लिक्चर देने आ रहा है उसका क्या भला सा नाम है–– हां याद आया जीवन लाल ; वह क्या बताएगा ?

तुलाराम : अरे जब आएगा तब जो कुछ बताना होगा बता देगा। अभी से हम आपस में चेमे गोइयां करने लगे हैं। उस दिन सुना नहीं था रेडियो पर कि जब तक बात पूरी तरह समझ में न आ जाए तब तक उसकी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए।

तोता राम : हां और यह भी कि ऐसे ही फिजूल की बातों में से अफवाह पैदा हो जाती है और इन अफवाहों से फायदा उठाते हैं सेठ साहूकार।

(उधर से पृथ्वी सिंह आता दिखाई देता है, उसे देखकर·····)

किसना : आ भइया पृथ्वी, बैठ, ले बीड़ी भी पी और सुना। आजकल तो खूब तैयारियों में लगा होगा।

पृथ्वी : अरे भइया ! हम गरीब गुरबों के यहां क्या तैयारियां होंगीं। किसी तरह बिटिया के हाथ पीले करने हैं बस।

किसना : सो तो है ही, पर तू यह मुंह क्यों लटकाए हुए है।

पृथ्वी : अपनी तो किस्मत में ही यह लिखा है, क्या करें। आज साहू के पास गया था। बहुत हाथ-पैर जोड़ने के बाद फसल के ढ़ाई हजार देने को तैयार हुआ है। घर का सारा नाज तो उसके यहां चला जाएगा–सो अगली फसल तक खाऊंगा क्या ?

तुलाराम : (चौंक कर) क्या कहा। तुम्हारी फसल के ढ़ाई हजार। अरे इस बार तो गांव में तुम्हारी फसल बहुत ही बढ़िया हुई है। अगर तुम खुद भी बेचो तो इसके दुगने दाम तो मिल ही जाएंगे।

पृथ्वी : सोचा तो एक बार मैंने भी यही था पर बाद में जो मेरा हाल होता, वह मैं ही जानता हूं। जब इस साहू को पता लगता कि मैं शहर गया हूं तो यह अगली सुबह को ही मुझे घर से बेदखल करवा देता। इसका कर्जा देना है न मुझको।

किसना : अरे ये सेठ तो पूरा डाकू है, डाकू। न जाने कितने गरीबों की हाय इसको लगेगी। मगर भगवान भी तो इसी की सुनता है। इसने गांव में किसका घर बिगाड़ने की नियत नहीं बनाई।

(उधर से जीवन लाल कई लोगों से घिरा हुआ आता है जैसे-जैसे वे पास आता है, शोर बढ़ता जाता है और कुछ लोग प्रधानमंत्री और भारत माता की जय के नारे भी लगाने लगते हैं। मंच पर आते-आते शोर काफी बढ़ जाता है। मंच पर आने के बाद लोग कुछ शान्त होते हैं तथा धीरे-धीरे वहां खामोशी छाने लगती है)

जीवन लाल : किसान भाइयो ! मैं कोई लीडर तो हूं नहीं, मैं भी तुम सब की तरह एक छोटा सा आदमी हूं। आज मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि आपके देश के बदलते हुए हालात के बारे में कुछ बता दूं। आपको यह तो सब पता ही होगा कि गरीब लोगों की मदद के लिए हमारी सरकार बहुत से काम कर रही है। यह काम तब तक हमारा कुछ फायदा नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरे दिल से इन्हें पूरा करने में सहायता न करें। मुझे सरकार ने या कांग्रेस ने आप लोगों के बीच नहीं भेजा है, बल्कि मैंने गांव-गांव घूम कर नई लहर फैलाने का काम खुद ही अपने हाथ में लिया है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हम करना चाहते हैं ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए।

मैं आप लोगों को यह बताने आया हूं कि सरकार उन सभी किसानों को साहूकारों के पंजे से छुड़ाने के लिए कानून बना रही है जो कि सारी उमर भी कर्जा चुकाते रहें तो भी मूल तो दूर की बात है, ब्याज भी न चुका सकें। असल में तो ये सेठ साहूकार कई गुना वसूल कर लेते हैं मगर इनका हिसाब कुछ ऐसे चलता है कि जितना कर्ज चुकेगा उससे भी ज्यादा वह बढ़ जाएगा।

ये साहूकार किसान को मुर्गा बना कर रखते हैं। जिसे जब भी चाहा हलाल किया जा सके। अभी पिछले गांव में कुछ किसान भाई कह रहे थे कि उनसे साहूकार कहता है कि भई इस दुनिया में तो सरकार उनके कर्ज माफ कर देगी। मगर भगवान के यहां तो कर्जों की अदायगी करनी ही पड़ेगी। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग भगवान से कितना डरते हैं, बस ज्यादातर किसान अपना परलोक न बिगड़ने देने के डर से ही साहूकार से अपना खून चुसवाने और मांस नुचवाने के लिए तैयार हो गए। अब साहूकार की तो मौज हो गई। भगवान के डर के मारे कोई भी उसके सामने मुंह न खोल सका। मगर भाइयो, असलियत यह थी, वह साहूकार उन किसानों से कर्ज से कई गुना रकम ले चुका था। किसान होता है सीधा सो जैसा साहू ने कहा, वैसा दस्तखत कर दिया। मैं इन साहूकारों से यह पूछता हूं कि गरीब किसान ने दो-चार सौ या हजार-दो हजार कर्ज लिया तो क्या वह सारी उमर चुकाने से भी खतम नहीं होता। कर्ज के बदले में वह किसान की फसल मामूली दामों पर हथिया लेता है, उससे बेगार करवाता है, उसकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है, उसके बीवी-बच्चों को बंधक बना कर रख लेता है और यही नहीं कोई किसान उसके सामने बोले तो वह उसके यहां आग भी लगवा देता है।

साहूकार के पंजे से निकलने का गरीब किसान-मजदूर के पास कोई उपाय नहीं रह जाता और वह सारी उमर खटता रहता है।

किसानों को इस चक्र-व्यूह से निकालने के लिए सरकार ने कई बातें लागू की हैं। अब किसानों के सारे पुराने कर्जे माफ कर दिये जाएंगे। कोई भी आदमी किसी को बंधक बना कर नहीं रख सकता। सबके हक बराबर हैं। किसी को भी साहूकार से डरने की जरूरत नहीं। डर से अपनी फसल साहूकार को कम दामों पर न दो।

मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप सब लोग अब अपने-अपने काम पर जाएं और इस बात का प्रण कर लें कि खूब मेहनत से काम करेंगे और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे।

(यह कह कर चुप हो जाता है और भीड़ का शोर उभरने लगता है। लोग अपने-अपने घरों को जाने लगते हैं) इस जलसे में रामेश्वर साहू के कुछ गुर्गे भी होते हैं, वह उसे घर जाकर हाल बताते हैं।

गबरू : मालिक आपने कुछ सुना, आज जो शहर से बाबू आया था न, बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था।

साहू : क्या कह रहा था, सीधी तरह बात कर।

मोती : हजूर वह कह रहा था कि अब किसी सेठ साहूकार से डरने की जरूरत नहीं है। सबके कर्जे माफ हो जायेंगे।

गबरू : वह यह भी कहता था कि किसानों को अपनी फसल मण्डी में जाकर बेचनी चाहिए। अब जमाना बदल रहा है। कोई किसी को बंधक नौकर नहीं रख सकता और सब अपनी मर्जी के मालिक हैं।

साहू (गुस्से में) : अच्छा। हम भी देखते हैं कि कोई हमसे कैसे टकराएगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि कोई रामेश्वर साहू के सामने जबान भी खोल सके। एक एक की खाल खिंचवा दूंगा।

(उत्तेजित हो जाता है)

गबरू (मोती से) : भइया मोती, सेठ जी तो बहुत बिगड़ रहे हैं। खैर इसी में है, चुपके से यहां से निकल चलो।

(दोनों चले जाते हैं)

साहू : मैंने अंग्रेजों के राज में भी किसी का अपने से ऊंचा बोलना सहन नहीं किया और अब ये कल के छोकरे धमका रहे हैं कि हम लोग अपना सब कुछ छोड़ दें। अरे यहां कर्ज नहीं दोगे तो भगवान के यहां देना पड़ेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।

अरी राधा की मां, सुना तुमने कुछ, अब हमें कोई कर्जा चुकाने नहीं आएगा। सब हमारी बराबरी करने लगे हैं।

(अयोध्या आती है)

अयोध्या : अरे क्या हुआ, क्यों इतना जोर से चीख रहे हो। मैं पहले से ही कहती थी कि गरीबों की हाय मत लो, मगर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है आज तक।

साहू : अब तो सुन लो। और तू यह भी सुन ले कि अब इस गांव में अपना ठिकाना नहीं रहा। पुरखों का गांव-सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा हम तो कहीं के न रहे।

(कमल और राधा का प्रवेश)

कमल : बाबू जी, क्या यह सच है कि हम आज तक सूद की कमाई से ही पल कर बड़े हुए हैं।

साहू (कुछ गुस्से में) : अच्छा तो क्या नवाब साहब समझते हैं कि उनके ये शहरी ठाठबाट सेंतमेंत में ही चल जाते हैं। अरे बेटा, मेरी सूद की कमाई से ही ये महल दुमहले खड़े हैं।

अयोध्या : कमल, जा तू अपना काम कर। बाप के सामने बच्चे बड़ी-बड़ी बातें नहीं किया करते।

राधा : नहीं मां, आज हम गांव में जहां भी जाते हैं, लोग हमें फटी हुई निगाहों से देखते हैं और पीठ पीछे तानाकशी करते हैं। गांव में सब हमसे कतराते हैं।

कमल : यही नहीं, अभी रास्ते में पृथ्वी सिंह मिला था, उसने मुझ से जो कुछ कहा, उसे सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है।

अयोध्या : क्या कहा बेटा उसने।

कमल : उसने मुझे सूदखोर का बेटा कहा और कहा कि अब गरीबों का खून चूसने वाले साहूकार से कह देना कि मुझ पर उसका कोई कर्जा बाकी नहीं है और अब हम अपनी फसल को खुद ही बेच लेंगे। दो के दस वसूल करना तो इस साहूकार को ही आता है।

अयोध्या : अरे बेटा, ये सब व्यापार की बातें हैं, तेरी समझ में भी आ जाएंगी। अभी तो तेरे खाने खेलने के दिन हैं, क्यों अभी से माथा-पच्ची कर रहा है।

कमल : मां, तुम अब चुप रहो। आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमारी पढ़ाई-लिखाई और खानपान में गरीब किसानों की दर्द-भरी आवाजें मिली हुई हैं। हमें अपने आप से नफरत होने लगी है।

राधा : मेरी सब सहेलियां चिढ़ाती हैं और कहती हैं कि अब देखेंगे कि कैसे रानियों के ठाठबाट करती हैं।

अयोध्या : मुझे क्या मालूम था बेटा कि हमारी किस्मत यूं खराब होगी। क्यों जी, कुछ बोलो तो सही।

साहू : (चीख कर जोर से) : क्या बकबक लगा रखी है। मैं रामेश्वर साहू हूं। आज तक मेरी कोई बराबरी कर सका है क्या? मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। मैं राजा हूं, मेरे महल की तरफ कोई आंख उठा कर भी नहीं देख सकता। क्या मजाल है किसी की, कोई मुझ से आंख भी मिलाए। सबको देख लूंगा।

अयोध्या : अरे बेटा, यह क्या हो गया तेरे पिता जी को। जा, जरा दौड़कर कस्बे से हकीम जी को तो बुला कर ला। मुझे तो लगता है कि तेरे बापू बौरा गए हैं।

साहू: हां, मैं बौरा गया हूं। तुम सब चले जाओ यहां से। मैं पागल दिखाई देता हूं तुम को। सब चले जाओ यहां से, सब चले जाओ, यहां से, सब चले जाओ यहां से ·······। □

प्रस्तुत कर्ता :
पूरन चन्द,
जी-52, नानक पुरा,
नई दिल्ली-110021

भारत 1981

वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गवेषणा एवं संदर्भ विभाग द्वारा संकलित एकमात्र आधिकारिक महत्वपूर्ण प्रकाशन। इस ग्रंथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, परिवहन, संचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्राम पुनर्निर्माण, श्रम, आवास, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, बिजली उत्पाद और राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति के विषय में उपादेय जानकारी तथा आंकड़े है।

पत्रकारों, अध्यापकों, छात्रों, शोधकर्ताओं, अधिकारियों, शिक्षाशास्त्रियों, व्यवसायियों तथा शिक्षा संस्थाओं व पुस्तकालयों के लिए प्रकाशन विभाग की अनुपम भेंट।

पृष्ठ संख्या : 712 तथा 3 अन्य मानचित्र
मूल्य : रु० 25.00 (डाक खर्च मुफ्त)

शीघ्र आदेश भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक,
विक्रय केन्द्र
प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस, नई दिल्ली–110001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001
- 8, एस्पलेनेड ईस्ट, कलकत्ता–700069
- कामर्स हाउस (दूसरी मंजिल), करीमभाई रोड, बैलर्ड पीयर, बम्बई–400038
- एल० ए० आडिटोरियम, 736 अन्ना सलाइ, मद्रास–600002
- बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिग, अशोक राजपथ, पटना–800004
- प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम–695001
- 10-बी, स्टेशन रोड, लखनऊ-225001

पहला सुख निरोगी काया

राजयक्ष्मा—एक घातक रोग

✳ वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहू

राजयक्ष्मा एक प्राचीन रोग है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में ग्रंथकारों ने इसके नामकरण के बारे में भी अपने-अपने अलग विचार बताए हैं, जोकि उनके अपने अपने सिद्धान्तों के आधार पर वर्णित हैं।

(1) सुश्रुत संहिताकार का कहना है कि किसी समय शाप के कारण चन्द्रमा नामक राजा को यह रोग हुआ था। अतः इसका नाम राजयक्ष्मा या राजरोग पड़ गया।

(2) अष्टांगहृदयकार वाग्भट ने सभी रोगों का राजा होने के कारण इसका नामकरण राजयक्ष्मा किया है।

(3) कुछ विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन के बाद से क्रमशः धीरे-धीरे चन्द्रमा का कुछ भाग घटता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार राजयक्ष्मा से ग्रसित मनुष्य के शरीर की बाह्य एवं आन्तरिक सम्पूर्ण क्रियाओं का क्षय (नाश) होता जाता है। अतः इसे क्षय रोग कहना युक्तिसंगत है।

अर्वाचीन काल में इसे तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से आधुनिक चिकित्सा जगत में जाना जाता है जिसके नामकरण का आधार-बेसीलस ट्यूबर्कलबेसिलस नामक जीवाणु है। इसे इसके उत्पत्ति का प्रधान कारण माना जाता है।

राजयक्ष्मा के लक्षण

राजयक्ष्मा के लक्षणों का वर्णन भी तीन भागों में किया गया है जो संभवतः इसकी तीन विशेष अवस्थाओं का दिग्दर्शक है :—

(1) प्रथमावस्था (त्रिरूप) :—राजयक्ष्मा के इस त्रिरूप में रोगी में तीन निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण है रोगी के कंधे और पार्श्व में पीड़ा होना, दूसरा रोगी के हाथ पैर में जलन होना और तीसरा लक्षण है रोगी के सम्पूर्ण शरीर में ज्वर की उपस्थिति।

(2) द्वितीय अवस्था (षड्रूप) :—राजयक्ष्मा के षड्रूप में रोगी में निम्नलिखित छः लक्षण पाए जाते हैं। 1. रोगी को भोजन में अरुचि होना, 2. रोगी को ज्वर होना, 3. रोगी को कास अर्थात् खांसी होना, 4. रोगी को खांसते-खांसते दम फूलना, 5. खांसते-खांसते बलगम के साथ रक्त भी निकलना (यह रोग का प्रधान और विशेष लक्षण है) और 6. रोगी का खांसते-खांसते गला बैठ जाना और आवाज कम हो जाना।

3. तृतीय अवस्था (एकादश रूप) :—स्वर भेद, कन्धे तथा पार्श्व में शूल, कन्धे तथा पार्श्व में संकोच, ज्वर, दाह अर्थात् शरीर में जलन, अतिसार अर्थात् पतली टट्टी, बलगम के साथ खून आना, सिर का भारीपन, भोजन में अरुचि, कास अर्थात् खांसी और कंठ में पीड़ा या धक्का लगना यह राजयक्ष्मा के ग्यारह लक्षण हैं। इसे राजयक्ष्मा की तृतीय अवस्था भी कहते हैं।

राजयक्ष्मा की चिकित्सा

1. **पूर्ण विश्राम** :—राजयक्ष्मा की चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम रोगी को पूर्ण विश्राम की सलाह देनी चाहिए ताकि राजयक्ष्मा के कारण जो रोगी के रस, रक्त आदि सप्तधातुओं का क्षय हो रहा है उसे रोका जा सके।

2. सुपाच्य और बलवर्द्धक भोजन

राजयक्ष्मा की चिकित्सा का दूसरा आधार है सुपाच्य और बलवर्द्धक भोजन ताकि रोगी में शक्ति की वृद्धि हो जिससे कि वह रोग को दूर करने की क्षमता उत्पन्न कर सके। इसके लिए दूध, मक्खन, अंडा, मिश्री एवं मांसरस का उपयोग अत्यधिक लाभप्रद है। पौराणिक ग्रंथों में नित्य प्रति मक्खन, शहद और मिश्री के प्रयोग से राजा चन्द्रमा का राजयक्ष्मा नामक रोग दूर हो गया था। यह इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है।

3. वांसा

राजयक्ष्मा के लिए सर्वसुलभ औषधि वांसा अर्थात अडूसा है। नित्य प्रति वांसा का स्वरस एक से दो तोले की मात्रा में सुबह, शाम पीने से राजयक्ष्मा से मुक्ति मिल सकती है इसका स्पष्ट उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में पाया गया है। चूंकि वांसा यक्ष्मा के श्वास, कास, रक्तयुक्त कफ के वमन एवं ज्वर, जोकि इसके मुख्य लक्षण हैं, को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर देता है। इसी वांसा में अन्य औषधियों का सम्मिश्रण करके बनी औषधि 'वांसावलेह' राजयक्ष्मा की अत्युत्तम औषधि है।

4. सितोपलादिचूर्ण :—

यह सर्वसाधारण औषधि पांच द्रव्यों का चूर्ण है जिसे अपने आप घर में बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बनाने के लिए दालचीनी एक भाग, इलायची दो भाग, पीप्पली चार भाग, वंशलोचन आठ भाग तथा मिश्री सोलह भाग लेकर इमामदस्ता में कूटकर चूर्ण बना लें। बस यही सितोपलादि चूर्ण बन गया। इसे सुबह शाम एक से दो माशे की मात्रा में इतना ही गर्म देशी घी या शहद मिलाकर खाने से राजयक्ष्मा दूर होती है।

5. **लाक्षामिश्रण** :—उपर्युक्त सितोपलादिचूर्ण से लाभ न होने पर उसी सितोपलादिचूर्ण में बराबर मात्रा में लाक्षा का चूर्ण एवं चौथाई मात्रा में प्रवालपिष्टी मिलाकर रोगी को देने से शीघ्र लाभ होता है।

6. **च्यवनप्राश**:—राजयक्ष्मा के लिए च्यवनप्राश एक अतिप्राचीन एवं परीक्षित औषधि है। इसके सेवन करने से अतिवृद्ध एवं क्षीण च्यवन ऋषि भी युवा हो गए थे। पर दुर्भाग्यवश च्यवनप्राश की अतिगुणकारी औषधि-अष्टवर्ग-की अनुपलब्धता के कारण इसकी गुणकारिता कम दिखाई पड़ती है। अतः इसकी गुणवृद्धि के लिए इसमें दो से चार रत्ती की मात्रा में प्रवालपिष्टी एवं एक से दो रत्ती मुक्तापिष्टी के मिलाने से आशातीत लाभ होता है।

7. **अभ्रक भस्म** :—यह राजयक्ष्मा के लिए अत्युत्तम औषधि है। यह भस्म शतपुटी—

[शेष पृष्ठ 28 पर]

तपेदिक जानलेवा भी हो सकती है *

ब्रजलाल उनियाल

आज से चालीस–पचास साल पहले अगर किसी को तपेदिक या क्षय रोग हो जाता था तो आदमी आतंकित हो जाता था, लोग उसके जीवन की आशा छोड़ देते थे और उससे बुरी तरह परहेज करते थे। आज विज्ञान ने इस रोग पर काफी हद तक विजय पा ली है और लोग इस रोग से इतने भयग्रस्त नहीं होते। फिर भी हमारे देश में हर साल अब भी लगभग 5 लाख व्यक्ति इस रोग की बलि चढ़ते हैं और लाखों व्यक्ति इससे पीड़ित हैं। भले ही, इसका कारगर इलाज किया जा सकता है पर ऐसी नौबत ही क्यों आने दी जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस रोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करें और इसके निवारण का भरसक प्रयत्न करें।

रोग के कारण व लक्षण

तपेदिक को यक्ष्मा, राजयक्ष्मा या क्षयरोग कहा जाता है। 'ट्यूबर्कल-बेसीलस' नामक कीटाणु से यह रोग जन्म लेता है। जब यह जीवाणु शरीर में पहुंचता है तो यह सड़न पैदा करता है। प्रायः फेफड़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह जीवाणु आंखों से तो नजर आ ही नहीं सकता, सूक्ष्मदर्शी यन्त्र की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है। यह रोगी के थूक में पाया जाता है। डाक्टरी जांच से इसकी उपस्थिति का फौरन पता चल सकता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि रोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बरतनों, रूमाल, गिलास, कपड़े, बिस्तरे की चद्दरें या तौलिये को बच्चे इस्तेमाल न करें क्योंकि बच्चों पर रोग का प्रभाव शीघ्र हो सकता है। यों तो रोगी की चीजें अलग रहें और उन्हें स्वस्थ लोग इस्तेमाल न करें। सबसे अधिक डर तो रोग के संक्रमण का सांस के जरिए है। सांस के साथ रोगी जीवाणु छोड़ता है और उसके पास बैठा कोई भी बच्चा उससे संक्रमित हो सकता है। बच्चों पर तो प्रभाव और शीघ्र पड़ सकता है।

रोग के मुख्य लक्षण हैं:—खांसी, सामान्य अस्वस्थता, कमजोरी भूख कम लगना, वजन गिरना, बुखार आदि। कभी-कभी थूक के साथ खून भी आता है।

रोग के असाध्य लक्षणों में कहा गया है:—रोग बहुत बढ़ने पर रोगी खाता खूब है पर वह शरीर में नहीं लगता, डायरिया (अतिसार), अंडकोश व पेट में सूजन, आंखें बिल्कुल सफेद हो जाना, बेहद अरुचि, ऊर्ध्व श्वास व कष्ट के साथ पेशाब।

रोग-निदान

किसी भी व्यक्ति को यदि काफी समय से खांसी हो रही हो तो उसे अपने थूक की डाक्टरी जांच अवश्य करानी चाहिए। यदि थूक की जांच के बाद मालूम हो कि थूक पौजिटिव है यानी उसमें रोग के जीवाणु मौजूद हैं तो निश्चय ही क्षयरोग से रोगी पीड़ित है।

इसके अतिरिक्त रोगी का ऐक्सरे किया जाना चाहिए।

ट्यूबरकुलिन परीक्षण भी एक उपाय है। ट्यूबरकुलिन मरे हुए यक्ष्मा जीवाणुओं का सार होता है। इसकी बहुत थोड़ी मात्रा व्यक्ति में इन्जैक्शन द्वारा प्रवेश कराई जाती है। जिस स्थान पर सुई लगाई जाती है वहां 48 से 72 घंटे के भीतर यदि लाली लिए हुए सूजन हो जाती है तो समझ लीजिए कि शरीर में क्षय के जीवाणु प्रविष्ट हो गए हैं पर अगर आदमी बिल्कुल जीवाणुओं से प्रभावित नहीं है तो उसकी त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हां, अगर त्वचा प्रभावित हो भी जाती है तो यह न समझ लिया जाए कि व्यक्ति रोगी है बल्कि केवल इतना ही समझना चाहिए कि जीवाणु शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और सावधान हो जाना चाहिए।

तब और अब

सन् 1947 से पूर्व, जबकि आधुनिक सूक्ष्म जीवाणु दवाएं नहीं चली थीं, तो रोग का निदान भारी समस्या थी। प्रायः रोगी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था या फिर घर पर भी बेहद परेशानी व सावधानी बरतनी होती थी पर अब स्थिति भिन्न है। अब तो चमत्कारी दवाएं मिलने लगी हैं जो धीरे-धीरे जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। क्षय रोग के अस्पताल पहले पहाड़ों पर हुआ करते थे जहां बहुत से चीड़ों के वृक्ष हों। चीड़ के पेड़ों की हवा इस रोग के लिए उत्तम समझी जाती है। रोगियों को पौष्टिक भोजन, पूरा आराम व खुली हवा सुलभ की जाती है। पहले तो स्थिति और भी विकट थी। इस रोग को राजयक्ष्मा या राज रोग कहा जाता था। इस का इलाज बड़ा खर्चीला समझा जाता था। आयुर्वेद व यूनानी ढंग की दवाएं बहुत महंगी होती थीं।

उपचार

अब तो आई० एन० एच० (आइसोनिआसिड) नामकी चमत्कारी दवा इस्तेमाल की जाती हैं। एक रोगी बच्चे को प्रतिदिन 100 से 200 मि० ग्रा० मात्रा की आवश्यकता होती है। अन्य औषधियों में पी० ए० एस० और थायासेपटाजोन हैं। आमतौर पर इन दो दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। पर आइसोनिआसिड का प्रयोग आवश्यक है। इलाज लगातार चलना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसीन और आइ० एन० एच० से करीब तीन मास इलाज करने के बाद कम से कम एक वर्ष तक चालू रखनी चाहिए। कभी-कभी तो यह दो साल तक चालू रखने की भी आवश्यकता होती है।

दवाएं केवल रोग के निश्चित निदान के बाद और डाक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिएं।

पहले तो रोगी को अस्पताल या सेनिटोरियम में रखा जाता था। पर अब इसका इलाज घर पर ही किया जाता है। यहां तक कि अगर रोगी कमजोर न हो और उसे ज्वर न आता हो तो यह जरूरी नहीं कि वह बिस्तरे पर ही लेटा रहे। वह घूम-फिर भी सकता है। चार-पांच महीने के इलाज और परहेज व पौष्टिक आहार से रोगी पहले जैसी स्वस्थ हालत में आ सकता है।

याद रहे यदि रोगी की हालत नाजुक है यानी उसका रोग जटिल हो गया है, नीमोथैरक्स का असर हो, फेफड़ों में घाव हो गए हों या थूक के साथ खून आने लगा हो तो घर पर इलाज कराने के बजाय उसे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए।

रोग का प्रभाव दूसरे अंगों पर

कभी-कभी यह देखा गया है कि 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की गर्दन पर गिल्टियां सी नजर आती हैं। ऐसा क्षय रोग के कारण भी हो सकता है। कभी-कभी इस रोग से दूसरे अवयव भी प्रभावित हो सकते हैं। ये प्रभावित होने वाले अंग हैं : कमर, घुटने, पीठ के जोड़ आदि। आंतों का क्षय या हड्डी का क्षय भी होता है। रोग के लक्षण प्रकट होते ही डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी

यों तो आदमी यदि स्वच्छ वायु का सेवन नित्य करे, नियमित व्यायाम करे, आहार में पोषण का ध्यान रखे, संयम बरते तो उसके शरीर में रोगरोधिता इतनी जबर्दस्त हो जाएगी कि मामूली रोग तो उसके दरवाजे पर दस्तक देने से भी डरेंगे। हमारे एक मित्र 10 वर्षों से यौगिक आसन कर रहे हैं और आज साठ वर्ष के भी बिल्कुल जवान लगते हैं। वे नहीं जानते कि सिरदर्द क्या होता है। जीवन में संयम-नियम व व्यायाम ने उन्हें बिल्कुल स्वस्थ रखा है। परन्तु इतनी सावधानी के बावजूद जीवाणु किसी न किसी रूप में आक्रमण कर सकते हैं। अतः रोगी के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए। रोगी को चाहिए कि वह हमेशा थूकदान में ही थूके, खांसते समय मुंह पर रुमाल रखे। स्वस्थ व्यक्ति रोगी के सामने न बठे, उसके इस्तेमाल किए हुए वस्त्रों अथवा बरतनों का इस्तेमाल न करे।

बी० सी० जी० का टीका बड़ा कारगर पाया गया है। सभी बच्चों को बी० सी० जी० के टीके लगवाने की सलाह दी गई है। ये टीके रोग से तो बचाव करते ही हैं। साथ ही रोग के गंभीर परिणामों से भी 8 प्रतिशत बचाव करने में सफल पाए गए हैं।

रोग से बचाव का सबसे अच्छा तरीका अपने शरीर की रोगरोधिता बढ़ाना है। रोगरोधिता बढ़ाने में पोषक आहार व स्वच्छ वायु तो बहुत ही जरूरी है। आज तो शहरों में आक्सीजन एक दुर्लभ चीज हो गई है। लोग शहर के प्रदूषण से तंग आ गए हैं। कुछ आदमी इस अनमोल आक्सीजन का आनंद लेने के लिए प्रातःकाल उषाबेला में, जबकि गर्दगुब्बार व धुआं नहीं होता, भ्रमण करने जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं।

कहा जाता है कि बकरी का दूध और चीड़ की हवा तो इस रोग के लिए रामबाण औषधि हैं। मेरठ के एक गांव में एक व्यक्ति के रोग के लक्षण प्रकट होते ही उसे बकरी का दूध भरपूर दिया गया और दूध व आराम से वह जल्दी ही भला चंगा हो गया।

लापरवाही बुरी बला

अगर किसी की गर्दन पर गिल्टियां हों या कमर या घुटने के दर्द के कारण लंगड़ाना पड़ता हो, जिस्म गिरा-गिरा सा लगता हो, जल्दी थकान महसूस होती हो, बुखार या हरारत सी महसूस होती हो छाती में दर्द-सा हो तो आप को इलाज की फौरन जरूरत है और इसके लिए आप डाक्टर से सलाह लें।

जगह-जगह थूकना बुरी आदत है। खुद भी इस आदत से बचिए और दूसरों को भी इससे बचने की सलाह दीजिए।

रोगी व्यक्ति के सांस से दूर रहिए। अगर आप स्वयं रोगी हैं तो कम से कम दूसरों का तो ख्याल कीजिए। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखिए।

स्वच्छ वायु का नित्य यथा संभव सेवन कीजिए। स्वच्छ वायु, पौष्टिक आहार, व्यायाम का भी महत्व रोग रोधिता में बहुत है।

जागरूक समाज

क्षयरोग केवल रोग मात्र नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक अभिशाप है। अतः पूरे समाज का कर्त्तव्य है कि इस रोग के प्रति लोगों में चेतना पैदा करे। हमारा कर्त्तव्य है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें कि रोग को आरंभ में ही दबा दिया जाए। उन सब स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करें जो इस रोग के उन्मूलन के अभियान में जुटे हैं। रोगियों को लापरवाह न रहने दें बल्कि उन्हें मजबूर करें कि वे परहेज और इलाज दोनों पर तुरन्त ध्यान दें।

आश्चर्य और दुःख है कि इतनी चिकित्सा सुविधाओं के होते हुए भी लगभग 5 लाख व्यक्ति क्षयरोग के शिकार होते हैं। आशा की जानी चाहिए कि लोगों में शिक्षा के प्रसार से जागरूकता पैदा होगी और जागरूकता रोग के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगी। ▭

ब्रजलाल उनियाल,
ए-8, लक्ष्मीबाई नगर,
नई दिल्ली-110023

पहला सुख निरोगी काया

(पृष्ठ 26 का शेषांश)

सहस्त्रपुटी भी मिलती है जो इसकी उत्तमता का प्रमाण होता है। इसे एक से दो रत्ती की मात्रा में सुबह, शाम मधु या मक्खन से देना उत्तम है।

8. **द्राक्षासव :** द्राक्षा अर्थात् मुनक्का से निर्मित द्राक्षासव राजयक्ष्मा के रोगी के लिए सुरुचिकर एवं बलवर्द्धक पेय है। नित्य प्रति भोजन के बाद दो से चार तोले की मात्रा में इतना ही जल मिलाकर पीने से रोगी की अरुचि दूर होती है, उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है जिससे उसकी धातुओं का क्षय रुककर उसे बलवर्ण की वृद्धि होती है।

9. **स्वर्णमालिनीबसंत :**—स्वर्णमालिनीबसंत राजयक्ष्मा के लिए अतिप्राचीन एवं स्वर्ण, अभ्रक, प्रबाल आदि बहुमूल्य धातुओं का योग है। यह राजयक्ष्मा के जीवाणुओं को निष्क्रिय कर और रोगी के धातुओं की वृद्धि कर राजयक्ष्मा को दूर करता है। नित्य प्रति एक से दो रत्ती की मात्रा में सुबह शाम मधु, मक्खन या मलाई में मिलाकर चाटकर दूध पीने से राजयक्ष्मा से मुक्ति मिलती है। ☐

साहित्य समीक्षा

कामधेनु : लेखक : कुबेर नाथ राय, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 180, मूल्य : 20 रुपये ।

कामधेनु में नौ निबन्ध हैं जिनके शीर्षक हैं—कामधेनु, देवी, नटराज, शंख और पद्म:, सांख्य योग, जम्बू द्वीपे–भरत खण्डे. ., लोकायत और आदिम श्रद्धा, महाकवि की कन्या, दिवस का महाकाव्य ।

वैदिक काल से वर्तमान काल तक भारत वर्ष की एक अविछिन्न परम्परा है। विश्व के संदर्भ में इस परम्परा में इस देश के परिवेश में जिन मौलिक उद्भावनाओं को रूपायित किया जा सकता है उनकी झलक इन निबन्धों में स्पष्ट दिखाई देती है। यथार्थ में एक निबन्ध एक प्रबन्ध है। प्रत्येक निबन्ध में अनेक संदर्भ हैं जिन संदर्भों का अध्ययन एवं मनन अलग से अपेक्षित है। वैदिक तथा अवैदिक दर्शन की जानकारी के अभाव में अनेक प्रसंगों की गुत्थियां सुलझना दुरूह है।

वास्तव में कामधेनु के निबन्ध गंभीर ज्ञान के द्योतक हैं। अनेक प्रसंगों में पौराणिक संदर्भ एवं आधुनिक व्याख्या लेखक के वैदुष्य, पाण्डित्य एवं गंभीर अध्ययन का पदे-पदे बोध कराती है। इन निबन्धों में लोक और वेद दोनों की बात है। अंतिम दो निबन्धों में लेखक की कल्पना एवं मौलिकता का मणिकायन योग पाया जाता है।

जिन लोगों ने फतवा दिया कि कुबेर नाथ राय चूक गए हैं, नया कहने को कुछ नहीं, पुरानी चीजें दुहरा रहे हैं, उन्हें कामधेनु के निबन्ध चुनौती हैं। □

रामेश्वर दयाल मिश्र,
आई० बी /14 सी,
डी. डी. ए. फ्लैट्स, अशोक विहार,
दिल्ली

उपन्यास और लोक जीवन : लेखक : रैल्फ फाक्स, अनुवादक : नरोत्तम नागर, प्रकाशक : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 158, मूल्य : 10 रुपये।

अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखित यह एक सुन्दर एवं उपयोगी पुस्तक है, जिसका अनुवाद श्री नरोत्तम नागर ने प्रस्तुत किया है। पुस्तक में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान तो सुन्दर ढंग से किया ही है, साथ में अनुवाद भी सुन्दर बन पड़ा है। प्रस्तुत पुस्तक की रचना उस समय हुई जबकि साहित्यकार की परिधि केवल पूंजीवाद तक ही थी, परन्तु लेखक ने उस परिधि को लांघ कर यह स्पष्ट कर दिया था कि मानवीय समस्याओं का समाधान मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया जा सकता है। यह लेखक का निजी मत है। आवश्यक नहीं कि सब इस मत से सहमत हों।

मार्क्सवादी और साहित्य पर लिखने के अतिरिक्त आपने यूरोप के अनेक उपन्यासकारों की रचनाओं का विश्लेषण किया है।

फाक्स का ऐसा लिखना कि "साहित्य में जीवन के बारे में लिखना और अपनी राय देना इतना दरकार नहीं, उसमें तो जीवन की तस्वीर चाहिए"—यह युक्तियुक्त है। यह बात समग्र साहित्य पर चरितार्थ हो सकती है।

बाह्य जीवन के साथ-साथ जीवन की परिस्थितियों, मनुष्य के आन्तरिक जीवन और उसके भाव जगत का चित्रण भी आपने किया है। इसी से यथार्थवाद का विकास हुआ है। उन्होंने कथा साहित्य को मानव जीवन का साधन माना है।

प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यासकला की विभिन्न अवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर विचार किया गया है। अंग्रेजी उपन्यासकला की वर्तमान स्थिति का पर्यालोचन, उसकी विकृति की स्थितियों और उसके भविष्य पर दृष्टि डाली है। लेखक ने जीवन के परिवर्तन को आवश्यक माना है, क्योंकि इसके बिना उपन्यास अपनी जीवन-शक्ति कायम नहीं रख सकता। प्रयत्न सराहनीय है। इसके लिए लेखक और अनुवादक बधाई के पात्र हैं। □

एम० एल० मैत्रेय,
एच-124, शिवाजी पार्क,
(पंजाबी बाग),
नई दिल्ली-110026

गांव के लोग (कथा संग्रह) : लेखक : मिथलेश्वर, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 174, मूल्य : 20 रुपये ।

नई पीढ़ी के कथाकारों में मिथलेश्वर ने ग्रामीण परिवेश को गहरी मानसिकता के साथ पेश करने के लिए अलग पहचान बनाई है। 'गांव के लोग' के लिए 'दो शब्द' लिखते हुए उन्होंने प्रेमचन्द और रेणु आदि कुछ विख्यात नामों को गिनाकर अनजाने या चतुराई से उनके साथ अपना नाम जोड़ लेने की तरफ इशारा जरूर किया है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए उन्हें अभी लम्बी मंजिल पार करनी होगी। 'गांव के लोग' की कहानियां पढ़ने से यह बात साफ हो जाती है कि उनका फलक बिहार के एक खास इलाके के गांवों को भी ग्राम-संस्कृति और परिवेश से पूरी तरह नहीं जोड़ पाया, क्योंकि उनके पास शब्द-संपदा का भारी अभाव है और कई बार ऐसा लगता है कि एक ही पटकथा को हम विभिन्न

पहलुओं में देख रहे हैं—बिना किसी नवीनता के। इसीलिए उनके पात्र हमें कहीं गहरे नहीं छूते। सरना और नरेश जैसे नामों की भी पुनरावृत्ति है।

इन कहानियों की सबसे बड़ी कमजोरी इसके संवाद हैं जो अपनी शहरी भाषा के कारण नितांत अस्वाभाविक बन पड़े हैं। 'नरेश बहू' और 'बाबू जी' इस संग्रह की चर्चित कहानियां हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि नरेश बहू का हितैषी बीरु जो सदा एक मर्द के पौरुष का प्रतीक बनकर सामने आया, कैसे अंत में कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग गया। हो सकता है मिथलेश्वर नरेश बहू के लिए पाठक की सहानभति जुटाने के उद्देश्य से बीरु का भागना ठीक मानते हों, पर उसका कोई औचित्य नहीं है। उल्टे इस प्रकार के अंत से बीरु का पुरुष एकदम ढह जाता है और जो चीज ढह जाती है वह कहीं प्रभावित नहीं कर पाती।

इसी तरह 'बाबूजी' एक सशक्त कहानी जरूर है, लेकिन उसको सुनाने वाला बाबूजी का मैट्रिक पास पुत्र अपने सोच और निष्कर्षों में इतना प्रौढ़ और परिपक्व है कि वह संपूर्ण कथानक को उतनी विश्वसनीयता नहीं दे पाता जिसकी इस कहानी को सख्त जरूरत है।

यह सही है कि मिथलेश्वर ने एक-दो स्थलों पर यह लिखकर कि —'गांव में इस समय सात ट्रैक्टर खरीदे जा चुके हैं। एक बच्चों का स्कूल तथा एक लड़कियों का स्कूल खुल गया है। एक छोटा-सा अस्पताल भी बन गया है—जो लोग आराम में थे उनकी ही सुविधाएं बढ़ी हैं। हम लोगों की तकलीफ तो और भी बढ़ गई है।' गांवों की बदली हुई स्थिति और वहां पनपते हुए वर्ग संघर्ष की ओर संकेत किया है, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियां और पिछड़े वर्ग की सिसकती हुई जिन्दगी को वह कहीं उतनी पैनी कलम से नहीं छू पाए जिसकी कि इस उभरते हुए कथाकार से उपेक्षा की जानी चाहिए।

'अभी भी' और 'बीजारोपण' गावों में आज भी प्रचलित अंधविश्वासों की ओर इंगित करती हैं और अच्छी रचनाएं हैं। ☐

राजेन्द्र शर्मा
1625-द्वारका पुरी,
दिल्ली-110032

हे राम, हे राम : सम्पादक : विष्णु प्रभाकर, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल तथा श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, पृष्ठ संख्या : 112, मूल्य : 3 रुपये।

यह पुस्तिका महात्मा गांधी द्वारा समय-समय पर दिए 64 प्रवचनों का संग्रह है जिसका नामकरण उनके मुख से निकले अंतिम शब्दों, हे राम-हे राम, पर किया गया है। तीस जनवरी, 1948 की संध्या को पांच बजकर सत्रह मिनट पर, प्रार्थना-स्थल की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए महात्मा गांधी पर एक सिरफिरे युवक नाथू राम गोडसे ने धड़ा-धड़ गोलियां दाग दीं। गांधी जी खून में लथ-पथ होकर गिर पड़े। हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े रहे और हे राम—हे राम कहकर मुस्कराते हुए महात्मागांधी जी ने प्राण त्याग किया। भारत, बल्कि समस्त संसार गहरे शोक में डूब गया। भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने वाले महात्मा गांधी मानवता से प्रेम करते थे। उनका विश्वास था कि विचारों को कार्यान्वित करके ही मानव जीवन को नैतिक स्तर पर लाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में भी एक युवक मीर कासिम ने उन पर लाठी-प्रहार किया था। गहरी चोट लगी थी। किन्तु इस महान आत्मा ने पत्र लिख कर सूचित किया था कि प्रहारकर्त्ता को छोड़ दिया जाए। उनके उपदेश बड़ी सरल भाषा में होते थे। उनका जीवन ही उनका संदेश था। संसार के अंधकार को मिटाने के लिए उनका जीवन प्रकाश-पुंज है। संसार को सत्य, ज्ञान, अहिंसा आदि का उपदेश उनके दैनन्दिन जीवन में प्रदर्शित और प्रकाशित होता था। नैतिकता को उभारने के लिए और गांधी जी के उपदेशों का प्रचार-प्रसार करने के लिए ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार ने रियायती दर पर कागज दिया ताकि इस पुस्तक माला को कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके। सरकार और प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं। रियायती दर पर कागज और आकार को देखते हुए पुस्तिका का मूल्य अधिक है। ☐

डा० ताराचरण रस्तोगी,
बीरुबाड़ी, गौहाटी-781016

श्रीमद्‌भागवत के पंचगीत : अनुवादक : पं. भानुप्रतापाचार्य, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, एन-77, कनाट सर्कस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 67, मूल्य : 1 रुपये।

विवेच्य कृति में श्रीमद्‌भागवत पुराण के दशम स्कन्ध में वर्णित 'पंचगीत' का भावानुवाद प्रस्तुत किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या करने वाले भारतीय धर्म ग्रन्थों में पुराणों का विशिष्ट स्थान रहा है और उनमें श्रीमद्‌भागवत तो एक अपूर्व ही ग्रंथ है। सुख एवं शांति, पुण्य एवं मोक्ष का इच्छुक प्राणी इन शास्त्रों का चिन्तन-मनन करके भक्तिरस से लबालब वह प्याला पा सकेगा, जिसे पीकर वह अमरत्व को प्राप्त कर सकता है।

प्रस्तुत रचना में वेणुगीत, गोपीगीत, युगलगीत, भ्रमरगीत तथा उद्धवगीत की व्याख्या सविस्तार की गई है। इन गीतों में श्रीकृष्ण के प्रति व्रज की गोपियों के हृदयोद्‌गार, अलौकिक प्रेम एवं महान भक्तिभाव चित्रित किए गए हैं। पाठकों की सुविधा के लिए संस्कृत—श्लोकों का सरलार्थ सुगम भाषा में देने के साथ-साथ कहीं-कहीं यथावश्यक व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी गई है जिससे पाठक उस श्लोक विशिष्ट के भाव, भावना आदि को अच्छी प्रकार समझ सकें और आनन्द की अनुभूति कर सकें। श्लोकों का अनुवाद बहुत ही सुन्दर, सुगम्य तथा सुबोध बन पड़ा है। हां, अनुवाद के साथ यदि कतिपय कठिन पदों का अर्थ भी दे दिया जाता तो सोने पर सुहागे का काम हो जाता। समग्रतः प्रस्तुत कृति आकर्षक, पठनीय एवं संग्रहणीय है। ☐

हरिवंश अनेजा,
ए-55, सुदर्शन पार्क,
नई दिल्ली-110015

केन्द्र के समाचार

गरीबी निरोधी कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा छठी योजना में ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए 2542 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि पांचवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय से 350 प्रतिशत अधिक है।

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के सामाजिक-आर्थिक मूल ढांचे को सुदृढ़ करने और गांवों की गरीबी दूर करने पर मुख्य रूप से बल दिया गया है।

ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने के लिए कार्यक्रम की तीन व्यापक श्रेणियां निर्धारित की हैं। यह हैं: (क) गांव के गरीब लोगों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे संसाधन और आय विकास कार्यक्रम; (ख) सूखा-प्रवणा क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे विशेष क्षेत्र विकास कायक्रम और (ग) सहायक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निर्माण कार्यक्रम।

पांचवीं योजना में लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम (एस० एफ० डी० ए०) के लिए उपलब्ध कराई गई 174.45 करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 1500 रुपये तक के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार मरुभूमि प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०) के लिए पांचवीं योजना के 181.50 करोड़ रुपये की राशि को छठी योजना में बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) पर होने वाले परिव्यय को भी पांचवीं योजना के 6.10 करोड़ रुपये के स्थान पर 100 करोड़ रुपये करके लगभग 16 गुणा कर दिया गया है। इसके अलावा छठी योजना में पहली बार, व्यापक परिव्यय से अनेक नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण युवकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीण गोदामों की शृंखला के निर्माण के लिए कई परियोजनाएं हैं।

पांचवीं योजना में सर्वप्रथम आरम्भ किए गए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को भी छठी योजना में व्यापक बनाया गया है और इस कार्यक्रम के लिए पांचवीं योजना में किए गए 2607 करोड़ रुपये के परिव्यय के स्थान पर छठी योजना में 5807 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम मानव संसाधन विकास के लिए एक आवश्यक निवेश है। यह समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत, राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मानदण्डों के अनुसार सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की तुरन्त आवश्यकता पर बल देता है।

छठी योजना में, ग्रामीण जल-पूर्ति तथा ग्रामीण विद्युत्तीकरण और ग्रामीण सड़कों के लिए भी, परिव्यय की राशि मध्यवर्ती योजना (1978-83) में प्रस्तावित परिव्यय से काफी अधिक है। ग्रामीण जल-पूर्ति के लिए परिव्यय, मध्यवर्ती योजना के परिव्यय 1388 करोड़ रुपये के स्थान पर 1407 करोड़ रुपये है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए, मध्यवर्ती योजना की 243 करोड़ रुपये की राशि के स्थान पर 301 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण सड़कों के लिए 1165 करोड़ रुपय की व्यवस्था की गई है जो मध्यवर्ती योजना की राशि से 365 करोड़ रुपये अधिक है।

कृषि वस्तुओं के निर्यात में 48 प्रतिशत की वृद्धि

भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में 602.03 करोड़ रुपये की कृषि वस्तुओं का निर्यात किया। यह पिछले वर्ष 1980-81 की इसी अवधि में हुए 406.70 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात से 48 प्रतिशत अधिक है।

पूरे वित्त वर्ष के लिए 1208 करोड़ रुपये की कृषि वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार वर्ष की प्रथम छमाही में निर्धारित लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

अधिक भूमि की नलकूपों द्वारा सिंचाई

छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान 12 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सार्वजनिक नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इस उद्देश्य के लिए 15,000 सार्वजनिक नलकूप लगाने का प्रस्ताव है।

मार्च, 1980 तक सार्वजनिक नलकूपों द्वारा 28 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई किए जाने का अनुमान था और देश में सार्वजनिक नलकूपों की संख्या 36,000 थी। 15,000 नए नलकूप लगाने से इस प्रणाली के अंतर्गत 40 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

इन नलकूपों की स्थापना तथा अन्य पंपसेटों को चलाने में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाओं में काफी वृद्धि होगी।

गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि के उपाय

सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित निर्यात लक्ष्य के अनुरूप गेहूं तथा चावल के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अब कई कदम उठाए हैं: (1) अधिक पैदावार देने वाली किस्मों की खेती का और ज्यादा क्षेत्रों में विस्तार करना, (2) सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना, (3) उर्वरकों का अधिक और कारगर ढंग से इस्तेमाल करना, (4) अच्छे किस्म के बीजों का अधिक वितरण करना, (5) विस्तृत क्षेत्र में पर्याप्त वनस्पति रक्षण उपाय करना, (6) मृदा और जल संरक्षण के उपायों तथा उन्नत बारानी खेती की प्रणालियों पर और ज्यादा बल देना, (7) टी० एंड वी० की नई मान्यता प्राप्त विस्तार प्रणाली के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देना तथा (8) अनुसंधान कार्यों को और अधिक तेज करना।

दालों की उपज में बृद्धि

वर्तमान अनुमान के अनुसार 1980–81 में देश में 110 लाख टन दाल की उपज होने का अनुमान है।

भारत में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गत कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित नीति अपनाई गई है :—

(1) दाल की फसलों के उन्नत बीजों का वर्धन तथा प्रयोग करके वनस्पति रक्षण के उपाय अपनाकर, फास्फेटयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करके तथा रिजोनियम कल्चर व अन्य पैकेज पद्धतियों से बीजों का उपचार करके प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना, (2) मूंग, उड़द, चना व अरहर के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना तथा चावल वाली परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना और (3) सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में अरहर, सोयाबीन, बाजरा, कपास, व मूंगफली की अन्तवर्ती खेती करना। सरकारी प्रयासों से गर्मी की मूंग के उत्पादन में विशेष सुधार हुआ है तथा अन्य दलहनों के उत्पादन में भी कुछ वृद्धि हुई है।

गांवों को जल सप्लाई

छठी योजना के दस्तावेजों के अनुसार इस समय लगभग 1.90 लाख ऐसे ग्राम हैं जिन्हें अग्रता के आधार पर जल पूर्ति सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।

1981-82 और 1982-83 के दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग 36,000 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष समस्याग्रस्त ग्रामों में कार्य आरम्भ किया जाता है।

भिंडी की नई किस्में

भारत के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आदि में भिंडी की उन्नत किस्मों के विकास कार्य में निरन्तर प्रगति हो रही है और भविष्य में यही क्रम जारी रहने की संभावना है। पहले भिंडी की स्थानीय किस्में उगाई जाती थीं, जिनसे न केवल कम उपज मिलती थी, बल्कि वे कांटेदार फलवाली होती थीं। अब भिंडी की चिकनी, मुलायम और कांटे रहित किस्मों का विकास कर लिया गया है। अब ये किस्में दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। आगे कुछ सुधरी किस्मों का उल्लेख किया गया है जिससे कृषक इन नई किस्मों को उगाकर अधिक उपज ले सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

एस 1.1 : इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यह किस्म रोग रोधी है और यह पूसा सावनी नामक अधिक लोकप्रिय की तरह अधिक उपज देती है।

कल्याणपुरी बौनी : भिंडी की किस्मों के विकास में यह अद्वितीय उपलब्धि है। इस किस्म के पौधे बौने होते हैं। फल हरे और कोमल होते हैं। यह एक अधिक उपज देने वाली किस्म है। यह उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय होती जा रही है।

हरी चिकनी : यह एक रोग रोधी किस्म है। स्थानीय किस्मों से अधिक उपज देती है। फल हरे व चिकने होते हैं।

वैशाली वधू : यह रोग रोधी और अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसके फल हरे चिकने होते हैं। यह किस्म बिहार में दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। इसके अलावा इसे राजस्थान में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है।

आई० एच० आर० 20–31 : इस किस्म के फल लम्बे, गूदा मोटा होता है। फल हल्के रंग के होते हैं। प्रत्येक पौधे पर बीस पच्चीस फल लगते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मौजेक नामक रोग नहीं लगता है। भिंडी का यह सबसे भंयकर रोग है। अब किसान इस किस्म को उगाकर अधिक लाभ उठा सकते हैं। फूल निकलने के 8–10 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फल में पांच धारियां होती हैं। इसके पत्तों से सब्जी अत्यन्त स्वादिष्ट बनती है।

भूमि और उसकी तैयारी : उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट या दोमट भूमि भिंडी के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2–3 दिन बाद देशी हल से जुताई करें। अंतिम जुताई के समय भूमि में प्रति हेक्टेयर की दर से 25 किलोग्राम बी० एच० सी० मिला देनी चाहिए।

खाद और उर्वरक : खाद और उर्वरक की सही मात्रा देने के लिए मृदा जांच अनिवार्य है। अतः समीप की मृदा जांच प्रयोगशाला से अपनी मिट्टी की जांच के उपरान्त ही खाद व उर्वरकों का प्रयोग करें।

गोबर की खाद को प्रथम जुताई से पूर्व खेत में समान रूप से डालें और फिर जुताई कर दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बोने से पूर्व खेत में मिला देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन वाली खाद बुआई के 40 दिन बाद खड़ी फसल में देनी चाहिए।

बुआई का समय : भिंडी की बुआई वर्ष में दो बार होती है।

(1) **ग्रीष्मकालीन** : भिण्डी की अगैती फसल लेने के लिए इसकी बुआई 15 फरवरी-मार्च तक की जाती है।

(2) **वर्षाकालीन** : भिंडी की पिछैती फसल लेने के लिए इसकी बुआई 15 जून से जुलाई तक की जाती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भिंडी अप्रैल से जुलाई तक बोई जाती है।

खरपतवार नियंत्रण : भिंडी की फसल के साथ कई प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं। अतः इनकी समय से रोकथाम करना अत्यन्त आवश्यक है। 3–4 बार निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाएं और फसल की वृद्धि भी भली-भांति हो सके। वर्षा ऋतु में पौधों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक है। इससे पौधे हवा आदि से नहीं गिरते और जड़ों के पास पानी जमा नहीं होता। ▭

हमारे महत्वपूर्ण एवं नवीनतम प्रकाशन

- भारत : वार्षिक संदर्भ ग्रंथ—1981 . . . . 25.00
  इस ग्रंथ में हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सरकारी और अन्य अधिकृत सूत्रों से एकत्रित सूचना संकलित है। विशेष रूप से पत्रकारों, अध्यापकों, छात्रों तथा शिक्षण संस्थाओं व पुस्तकालयों के लिए अनुपम भेंट। (पृष्ठ—712)
- भारतीय शहीदों का परिचय : खड—1 . 45.00
  देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश भक्तों के जीवन और कार्यकलापों के संबंध में सही जानकारी। (पृष्ट—451)
- चुनौती भरे वर्ष (1966 से 1969 तक के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषणों का संग्रह)
  (पृष्ठ—391) सजिल्द 18.00
  साधारण 15.00
- हमारे वैज्ञानिक—डा० जगजीत सिंह (14 भारतीय वैज्ञानिकों की जीवनियां) (पृष्ट—109) 9.00
- भूले-बिसरे क्रांतिकारी—ले० रामशरण विद्यार्थी एवं मन्मथनाथ गुप्त
  भारतीय क्रांतिकारियों की संक्षिप्त जीवनियां (पृष्ट—145) 10.00
- भारत का इतिहास—बच्चों के लिए, लेखिका—शीलाधर (चतुर्थ संस्करण) (पृष्ट—174) . 13.00
- देश महान् हमारा (तृतीय संस्करण) 9.50
- गूंजे जय जयकार (तृतीय संस्करण) 7.00
- उपनिषद्-प्राचीन कथाएं 7.50
  उपनिषदों से चुनी गई कहानियों का संग्रह। इसमें हमारे पुरातन इतिहास, संस्कृति एव कला का रंग-बिरंगी झलक मिलती है (पृष्ट—70)
- तोता मैना (पक्षियों की कहानियां) 6.50
  इस पुस्तक में विभिन्न पक्षियों पर आधारित कहानियां तथा लोक कथाएं संकलित हैं। ये बाल पाठकों के लिए अतीव रुचिकर हैं (पृष्ट—59)
- जन समाज और संस्कृति—एक समग्र दृष्टि 5.00
  लेखक : विष्णु प्रभाकर
  (डा० राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यानमाला—1980) (पृष्ठ—62)
- मूल अधिकार और कर्त्तव्य—ले०—डा० पी० के० त्रिपाठी 3.00
  (डा० राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला) (पृष्ठ—32)

डाक खर्च मुफ्त। 10 रुपये से कम के आदेश पर पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त भेजिए। पुस्तकें स्थानीय विक्रेताओं से लें या सम्पूर्ण साहित्य की जानकारी के लिए लिखें :—

व्यापार व्यवस्थापक,
प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

- पटियाला हाउस, नई दिल्ली—110001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली—110001
- 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता—700061
- कामर्स हाउस (दूसरी मंजिल), करीमभाई रोड, बैलर्ड पीयर, बम्बई—400038
- एल० एल० ए० आडीटोरियम, 736, अन्ना सलाई, मद्रास—600002
- बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना—800004
- प्रेस रोड, त्रिवेन्द्रम—695001
- 10—बी, स्टेशन रोड, लखनऊ—226001

RN 708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (D)-55 to
post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तत्कालीन उपमंत्री कुमारी कुमुद जोशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रकाशन विभाग के स्टाल का अवलोकन करती हुईं। उनके साथ प्रकाशन विभाग के निदेशक श्री डी० एस० मेहता और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के निदेशक श्री बड़ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ऊर्जा मंडप में वैज्ञानिक सौर ऊर्जा से चलाए गए पम्प के बारे में बताते हुए।

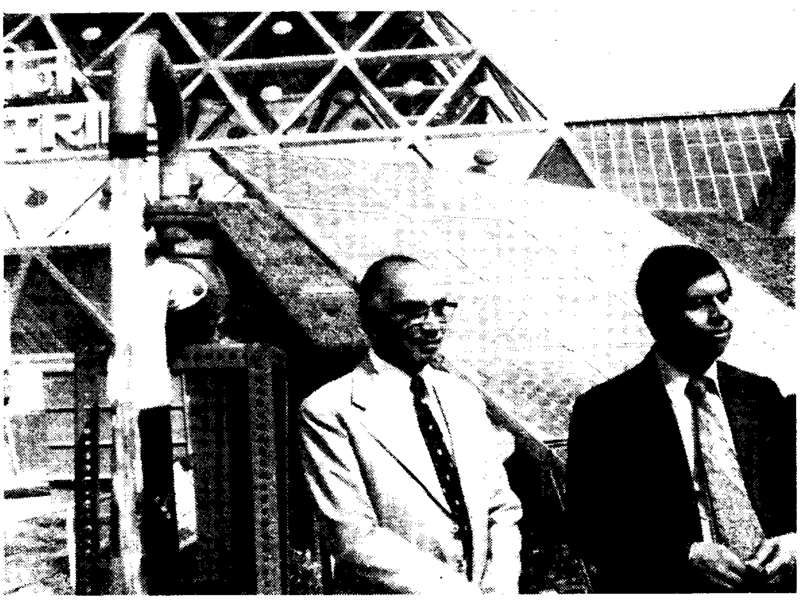

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित